

इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी कार्यवाही करने के लिए सिर उठा रहे हैं।

सभापति महोदय : मिश्र जी अब आप परसों अपना भाषण जारी रखिएगा।

15.01 hrs.

MOTION RE : TWENTY-SIXTH AND TWENTY-SEVENTH REPORTS OF COMMISSIONER FOR SCHEDULED CASTES SCHEDULED TRIBES AND FIRST AND SECOND REPORTS OF COMMISSION FOR SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

MR. CHAIRMAN : Now, we take up the next item, Shrimati Ram Dulari Sinha.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : Mr. Chairman, Sir, I beg to move :

“That this House do consider the Twenty-sixth and twenty-seventh Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the years 1978-79 and 1979-81, laid on the Table of the house on the 22nd December, 1980 and 11th August, 1982 respectively and the first and second Reports of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the period from July, 1978 to March 1979 and April 1979 to March, 1980, laid on the Table of the House on the 22nd December, 1980 and 11th August, 1982 respectively.”

As the hon. Members of this house are aware, the Twenty-sixth Report of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was placed on the Table of this House on the 22nd December, 1980 and the Twenty-seventh Report of the Commissioner was placed on the 18th August, 1982. Apart from these two Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and

Scheduled Tribes the First Report of the Commission for Scheduled Castes and Scheduled Tribes was placed on the Table of this House on the 22nd December, 1980 and the Second Report of the Commission on the 11th August, 1982.

The Commissioner and the Commission have made valuable suggestions. These four Reports may now be taken into consideration for discussion by the hon. Members.

The Government of India is fully conscious of the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The great concern and commitment of the Government of India to the cause of socio-economic development of these communities who is about a quarter of our population have been reflected in the vigorous measure taken by this Government as soon as they came to power in 1980.

The acceleration of the pace of development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes has been included as point No 7 in the new 20-point Economic Programme announced by the Prime Minister on 14th January, 1982. The massive investment has been made for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes through the strategy of Special component Plan and Tribal Sub-Plan combined with special Central assistance evolved for the purpose during the Sixth Five Year Plan. The process is on and will continue during the Seventh Five Year Plan with still more vigour.

The strategy for the development of Scheduled Castes and Scheduled Tribes during the ensuing Seventh Plan period is being discussed and we in the Home Minister took the initiative to discuss the strategy in two meetings with the hon. Members of both the house Parliament belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

We are grateful to the hon. Members who so continuously responded to our invitation and participated in the discussion and gave us their valuable suggestions in those two meetings.

(Shrimati Ram Dulari Sinha)

The Commissioner has made 313 recommendations and 381 recommendations in his 26th and 27th reports respectively.

The commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes has made 273 recommendations and 626 recommendations in his 1st and 2nd reports respectively.

These four reports are now in front of us for consideration. I have no doubt that we would be greatly benefited by the valuable suggestions that hon Members make with reference to the various recommendations made in those reports.

Thank you.

*SHRI BAJU BAN RIYAN (Tripura East): Mr Chairman, Sir, here two reports each of the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and the Commission for Scheduled Castes and Tribes have been placed before this House for discussion. In all four Reports are being discussed. Although they have come up very late, for discussion, yet the discussion is very necessary and useful. The reports were placed on the Table on 22nd December, 1980 and 11th August, 1981 but we are discussing them today after such a long time. I think this House should have discussed them long ago. The Commissioner and the Commission took much pains for these Reports. They visited various States for on-the-spot study, they acquainted themselves with the problems of the Scheduled Castes/Tribes people. They collected the facts and figures and studied the various ongoing projects and the directions given by the Central Government for the welfare schemes for these poor people. The detailed information in these respects are incorporated in these Reports. They have given the recommendations after detailed analysis of the problems and the steps taken to solve them. The hon. Minister had herself mentioned in her introductory remarks that each of these four report contain a large

number of recommendations. Some report contains 273 recommendations, some 381 recommendations and some again contain nearly 700 recommendations. Now the main question is whether these large number of recommendations were implemented or not which the Commissioner and the Commission for Scheduled Castes and Tribes had made after taking great pains in this respect.

SHRI SURAJ BHAN: Even if there is no quorum, at least there should be decorum.

श्री राम विलास पासवान : यह कोई मामूली मामला नहीं है कि वहां ऐसी मौजूदगी हो ।

श्री मंगलराम प्रेमी : अभी थोड़ी देर पहले, एक हमारे नेता बड़ी उदारवादी बात कह रहे थे। उन लोगों की यही उदारवादी बात है ?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : ऐसे कोई नहीं आयेगा, आप कोरम बेल बजाइये ।

(व्यवधान)

MR. CHAIRMAN: Now the quorum bell is being rung...

Now there is quorum. The hon. Member may continue his speech.

SHRI BAJU BAN RIYAN: Who is looking into it? This is the main question. From these Reports it will appear that the Central Government is doing much for solving the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people and these weaker sections of our country are being much benefited by them. But in reality, in various States of the country where the

Tribals. Scheduled Caste/Tribe people live, how many recommendations have been actually implemented? A large number of recommendations have been made in these four reports. But how many of them have been implemented by the State Governments and various Government organisations that is the root question. We have just now seen that many members of this House also are not much interested and enthused in the Scheduled Caste/Tribes people and their various problems. We are discussing a very important and serious subject. This discussion is taking place after a long time and in the Seventh Lok Sabha this is perhaps the only occasion when this important and serious subject is being discussed. Even then we find that the quorum bell had to be rung to make up the minimum quorum of members. This is the pathetic situation. This is an index from which you can well imagine what will be the degree of interest and enthusiasm of the bureaucracy and other organisations in various States all over the country in tackling and solving the problems of the poor SC/ST people. wherever we go we find that the Tribals and the SC ST people are living in starvation conditions. They have not been provided with houses or even shelters to live in. They do not have any employment opportunities. Those who have received some education and have gone above the secondary education level and even those with technicals degrees or Masters' degrees are jobless. As a member of the Parliamentary Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes, I had the opportunity of visiting various States and organisations to study the problems of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I found that in many Public Undertakings and Government departments the job reservation ratio for SC/ST, as provided in the Constitution, is not being fulfilled. The Constitutional provision of 7.5% job reservation ratio for Scheduled Tribes and 15% for Scheduled Castes is not being observed anywhere. In filling vacancies the lower category of jobs also which are decided on the ratio of SC/ST people to the total population of a State, the required number of jobs are nowhere offered to these people. This is a matter of grave concern and regret. Now, Sir, there is practically no opportunity for the

SC/ST students to study in good schools and to produce brilliant results. Due to that I admit that it is very difficult for them to become proficient in vocational studies or to get good position in competitive examinations and get good posts. But if the Government so wishes, they can at least provide them with such lower category of jobs that they are able to do with whatever little educational qualifications they have got. There are many types of jobs where not much educational qualification is required. Take for example, Class IV category of jobs in Government departments or 'D' category of jobs in other organisations. There in education upto VIII th standard is considered sufficient. Even a person who is able to sign his name can perform his allotted work and duties. In the whole country you will not find a single department in any State where even this quota has been fulfilled. You take any department of the Central Government. Be it, the P&T Department, or the nationalised banks, or the Indian Oil Corporation or the ONGC, nowhere even the 'D' category quota for SC/ST has been filled. Does it not go to prove that this Central Government is not willing to provide job opportunities to the SC ST people? Had they been willing, then there was no difficulty in providing jobs in the lower cadre of services at least.

The Congress Government has enacted various legislations in India over the last 37 years in the name of land reforms. They have directed various State Governments to distribute the surplus land of the big landlords and jotedars among the poor scheduled caste and scheduled tribes people. But has it been really implemented? In these Reports we have found that no State in the country has fully implemented it. As a result of this we see that constant strife and dispute is taking place in all the States among scheduled tribes, scheduled castes and others over possession of land. In many places like Bihar and U.P. we have seen that the Government distributed surplus land among the SC ST people and handed over the papers. But they did not keep a watch whether those poor SC ST people were able to hold on to their land and protect it. When those poor people went to till their land, they were killed. At many

(Shri Bajju Ban Riyan)

places their entire family was eliminated. Yet at many other places the whole generation was wiped out. This is the picture of land reforms that we see verywhere. If this Government had the right intention, they could implement the *Barga* Law and other land reform legislations effectively all over the country. In those States where the Left Front Government is in power, these legislations have been properly implemented and as a result of that the Scheduled Castes and Tribes people have gained possession of land to a large extent and are cultivating their land with full rights of ownership. I will ask the ruling party members whether you have been able to implement the *Barga* law etc. so effectively in any State where the Congress party is in power for a long period and continues to be in power even today? Can you quote one example? Rather we find that in those Congress ruled States, the SC ST people are losing control of the land afresh which was already in their possession and ownership and the ownership of their land is passing on to other influential people. The Government have passed legislation where by these lands will be restored to the SC ST people. But actually how much land have you been able to restore to them? How much sincere effort have you made in that direction? These reports clearly reveal that. The SC ST people whom we call 'Harijans' have all along been the victims of atrocities and oppression. With a view to prevent such atrocities on them the 'Civil protection rights Act' was passed in 1955. Under this Act, directions were issued to all the State Governments to set up proper administrative machinery to protect the right of the SC ST people. But have their rights been really protected? In these reports figures have been given about the number of Harijans who have been the victims of atrocities and oppression in various States. If you want I can quote these figures but I think you have all gone through these reports and seen the figures yourselves. This only proves that the SC ST people and the Harijans although they have gained freedom from the British rule, yet they continue to be under subjugation of the people of India. They are still treated as slaves. In this atmosphere

we are discussing these four reports that have been presented before this House with a view to solve the problems of the SC ST people.

The Government has taken various measures for improving the educational standards of the SC/ST people. Somewhere stipends are being given to these students and hostels have also been set up at various places for their benefit. Now the question is whether these hostels are being run and maintained properly and whether the amount of the stipend paid is adequate to meet their minimum needs. If the stipend is insufficient, then whether they have the means to get funds from their homes to meet their essential requirements? My experience is that under the stipends scheme of the Central Government, these students who live in hostels in various States and who are studying below the secondary level, get a stipend of well below Rs. 100/-. Somewhere the stipend is Rs. 30/- somewhere it is Rs. 45/- and somewhere it is Rs. 60/-. Different rates of stipend prevail in different States of the country. But Sir, in those States where the left Front Government is in power e.g. Tripura and West Bengal, the rate of stipends for the Scheduled Castes and Tribes students is slightly higher. Though I do not claim that the amount is fully adequate. If the Central Government gave us more funds we could perhaps sanction even higher stipends. But in other Congress ruled States like Gujarat, Maharashtra etc. the rate of stipend is only Rs. 45/- per month. I do not know whether a student can manage even two meals a day with Rs. 45/-. Sir, as a member of Parliamentary Committee I had the opportunity to visit many big hotels. There I found that a piece of chicken costs over Rs. 45/-. Therefore the amount of stipend that these SC/ST students are getting in India is less than the price of a piece of chicken. In this condition how much improvement can be effected in the field of education of these students can well be imagined. These reports have clearly stated that the quantum of financial assistance should be increased substantially for the SC/ST students.

Sir, in the North Eastern part of India, the Tribals are indulging in agitations and terrorist activities. In the reports it has been stated that due to terrible pressure on the land in Tripura, because the tribals are losing possession of their land, they are embarking on terrorist activities. I do not accept this contention. In other States also on the North East of Tripura like Manipur, Nagaland, Mizoram etc. the tribals are indulging in similar agitations. The same type of agitations and uprisings are being indulged in by the tribals of all the North Eastern States including Tripura. It is true that there is a problem of land in Tripura. Sir, in 1954, in 1962 and in 1965 during the Indo Pakistan war, a large number of refugees came over to India from Bangladesh then called East Pakistan. The Nehru-Liaquat Ali pact provided that any refugees coming over to India shall be provided shelter. Due to the above mentioned factors, the large number of refugees that came to India were provided shelter first in Tripura and all of them later settled there. If the Government of India dispersed all these refugees to various other States and rehabilitated them there, then the pressure on land in Tripura would not have been so immense and acute. The tribals of Tripura depended on land for their living and the refugees who came from East Pakistan|Bangladesh also depended on land for their living. This is so because due to your grace no industries have been set up in Tripura. Had there been some industries in Tripura, then the refugees who came from across the border could get employment in those industries for their livelihood and would not have depended entirely on land. Hence the pressure on land would not have been so acute. Had these refugees been rehabilitated in other States also, then too the pressure on land would have been considerably reduced and such terrorist agitations for possession of land would not have taken place at all.

But Sir, the terrorist movements in the North Eastern region is not due to the land problem alone. Some fuel has also been added there you may be aware of that. The Bengali refugees have not gone to Nagaland or Manipur or Tripura then why are there tribal uprisings in those States? why are the

Tribals revolting and taking up arms there? The uprising of the Tribals in those areas is due to the fact that the Congress Government at the Centre looks down upon the tribals of the North Eastern States as inferior and second class citizens. Whatever little is provided in the Central budget for their development, does not reach them. In your long rule of 37 years could you not set up paper mills in Tripura; could you not set up Fruit Canning or fruit preserving industries in Tripura; could you not set up sugar or other agro-based industries or rubber based industries in Tripura? You could very well do that; but you are simply not interested;

The various schemes that you have framed in the name of upliftment of the tribals is solely for the purpose of catching the tribals' votes at the time of elections. You are not at all interested in solving their economic problems. If you were really interested you surely could have done much for their development and progress. You know Sir, that the left Front Government of Tripura have constituted the Autonomous District Council. But the Central Government is not providing funds. Have you noticed it? All sections of the people of Tripura are demanding that the autonomous district council should be set up there under the Sixth schedule, of the Constitution so that this Council may work for the development of the tribals and tribal areas with full powers and autonomy. I demand that this may be allowed. The reports clearly state that there is nobody to implement the decisions of the Central Government. The State Government do not have enough resources. Whatever funds are being provided, is going waste. The schemes are meeting with failure. I also admit that the schemes are meeting with failure and funds are being wasted because there is no proper machinery to look after and implement them. But would you give the opportunity to turn a new chapter through the application of the Sixth schedule in Tripura? I invite you to come to Tripura and see for yourselves how the funds provided by you for tribal welfare are being spent and utilised for the purpose by the left Front Government of Tripura;

(Shri Bajju Ban Riyan)

Sir, the Harijans in our country are constant victims of harassment, oppression and atrocities. You open any leading paper like the Times of India or the Statesmen etc. any day and you will find that Harijans are being killed. Somewhere or other every day. Some day in Bihar, some day in Maharashtra, some day in U.P. and some day in Tamilnadu etc. Every day incidents of their killing are taking place. They are being killed in wholesale rates. We have heard that in some States even the State police are also in collusion in these mass killings. I will earnestly request this House to please find some means to save the Harijans from these mass killings and other forms of atrocities.

Sir, these four reports have been brought before this House for discussion much belatedly. They should have been discussed long ago. Even then I hope that the reports will be taken with due seriousness and the various recommendations made therein will be sincerely implemented by the Government. Wish that hopeful not I conclude.

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदय, आज हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के आयुक्त को वर्ष 1978-79 और 1979-81 की रिपोर्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह सदन कम से कम साल में एक दो बार उन तमाम लोगों के लिए दिल की गहराई के साथ चिन्ता तो कर लेता है, जिनके सम्बन्ध में राष्ट्र के निर्माताओं ने, विधान के निर्माताओं ने बड़ी गहराई से अध्ययन किया था, चिन्तन किया था।

श्री सुरज भान : 5 साल के बाद एक बार चर्चा हो रही है।

श्री डी० पी० यादव : डिस्कशन तो हम किसी न किसी तरह हर साल कर ही लेते हैं।

एक जमाने में जब कुछ लोगों को अछूत कहा जाता था तो उसके भेदभाव के अलग-अलग काइटीरिया थे। जो लोग छुआ छूत से जाने जाते थे, उनको हमने अछूत कहा, जो पहाड़ की तलहटी में रहते थे, उनको शिड्यूलड ट्राइब कहा और जो सामाजिक व शैक्षणिक तौर से पिछड़े हुए थे, उनको पिछड़ा वर्ग कहा। लेकिन इन तमाम चीजों को समझने और जानने के लिए जब तक हम इसके इतिहास में नहीं जायेंगे तो शायद यह देश को गुमराह करना होगा कि हमने समाज के उस उपेक्षित कमजोर तबके के लिए कुछ नहीं किया है। अगर हम कुछ नहीं करते तो संविधान में जिन धाराओं का हमने समावेश किया है अर्थात् धारा 15, 16, 17, 18, 23, 25, 29, 35, 38, 46, 164, 244, 244-ए, 275, 320-ए, 330, 332, 334, 335, 338, 339, 340, 341, 342, 371-ए, 371-बी, 371-सी।

पूरे संविधान में हर जगह, हर क्षण हमने इस बात की कोशिश की कि समाज के वे उपेक्षित वर्ग किसी भी स्थिति में कानून के दायरे में फंसकर, जिन लोगों ने आज तक उस समाज का शोषण किया, वह पुनः उनके शोषण में न आ सकें। इसलिए हमने भारत के संविधान में ही उन मुल्यों को रखा और उन चीजों का समावेश कर दिया जिससे शिड्यूलड कास्ट और शिड्यूलड ट्राइब की सुरक्षा हम कर सकें।

बहुत बड़ा सवाल उठता है कि रिजर्वेशन जहां पर जितना परसेंटेज चाहिए, हम उस अनुपात के मुताबिक नहीं कर सके। मैं यह कहता हूं कि यह आफिशियल मशीनरी की कमी रही कि हम रिजर्वेशन बहुत जगह उतना नहीं कर सके, लेकिन सबसे मौलिक सवाल जो हमारे सामने हैं, सवाल रिजर्वेशन परसेंटेज का नहीं है, सवाल विचार के बदलाव का है कि हमारे विचार में परिवर्तन हुआ है या नहीं ?

निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि हमारे विचारों में परिवर्तन हुआ है और ऐसा हुआ है कि आज शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का हर व्यक्ति कम से कम अपने अधिकार की लड़ाई तो लड़ लेता है।

अगर डा० भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गाँधी ने हमको कुछ सिखाया हमको कोई दान दिया, तो यह रिजर्वेशन के परसेंटेज का दान नहीं दिया, बल्कि वह दान है विचारों का बदलाव और परिवर्तन तथा अधिकारों की लड़ाई लड़ने की क्षमता। मैं इस बात से संतुष्ट हूँ कि पिछले 37 सालों में उन्होंने निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़ा होने और अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार प्राप्त किया है।

सैवन्थ प्लान डाकुमेंट के पैराग्राफ 13 में इकानोमिक क्रइटेरिया के सवाल को ले कर बहुत वावैला किया गया है। मैं भी अपने आप को इस बारे में दोषी मानता हूँ, क्योंकि जब यह डाकुमेंट बना, तो मैं भी प्लानिंग मिनिस्ट्री की कनसल्टेटिव कमेटी का सदस्य हूँ। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि यह बात मुझसे भी स्लिप कर गई।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आपको भी ठगा गया।

श्री डी.पी. यादव : जो नहीं मुझे ठगा नहीं गया। बाद में मैंने इस बारे में पता लगाया। यह किसी मिनिस्ट्री की एडवाइस नहीं थी। प्लान फ्रेमर्ज एडवाइजर्ज के मन में यह बात आई थी। अनौपचारिक डिसकशन में यह सवाल आया था। इसलिए सम्भवता उन्होंने वह पैराग्राफ इनएडवर्टेंटली जोड़ दिया। इसको होम

मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं घुसाया गया। सरकार की यह मंशा नहीं है।

रिवाज यह है कि प्लान डाकुमेंट को एक्सपर्ट्स बनाते हैं और कभी कभी कोई बात हमसे भी स्लिप कर जाती है। चार मुख्य मंत्रियों ने तो उस डाकुमेंट को देखा ही नहीं उन्होंने नेशनल डेवेलपमेंट कौंसिल की मीटिंग का बायकाट कर दिया। उन्हें यह सवाल उस मीटिंग में उठाना चाहिए था।

श्री सूरज भान (अम्बाला) ; जो चीफ मिनिस्टर उस मीटिंग में मौजूद थे, उनको यह सवाल उठाना चाहिए था।

श्री डी.पी. यादव : सरकार की यह मंशा नहीं थी। (व्यवधान) ये डाकुमेंट सबजैक्ट टु करेक्शन तो होते ही हैं। जब तक हम संविधान के अनुच्छेद 15 (4), 16 (4) और 340 में परिवर्तन न करें, तब तक रिजर्वेशन के संदर्भ में इकानोमिक बर्ड कभी नहीं आ सकता है। भारत के संविधान में पहले संशोधन के समय जवाहरलाल नेहरू ने अनुच्छेद 340 पर बोलते हुए जो कहा था, उसको कई बार दोहराया गया है। उन्होंने कहा था "कि इन बाडी एंड इन स्पिरिट" कभी भी हमारा मतलब "इकानोमिक" बर्ड जोड़ने का नहीं है। देश के महान नेता और तत्कालीन प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि रिजर्वेशन का आधार आर्थिक नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 340 में उसका प्रावधान नहीं है। यह बात इस सदन को, और इस सदन की मार्फत सारे देश को, समझ लेनी चाहिए।

कल परसों हमारे दल के संसद सदस्य प्रधान मंत्री से मिले थे। प्रधानमंत्री ने साफ साफ कहा कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड

(श्री डी० पी० यादव)

ट्राइब्ज के रिजर्वेशन के सम्बन्ध में इकानोमिक क्राइटेरिया को एनडार्स करने या इनक्लूड करने का कोई सवाल ही नहीं है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि इस बाबले को समाप्त किया जाए और देश को गुमराह न किया जाए। मैं समझता हूँ कि हमारे मित्र इस बात को समझेंगे कि सरकार की ऐसी कोई इन्टेन्शन नहीं थी। जब हम पुनः प्लानिंग कमीशन के साथ बात करेंगे, तो इसके सुधार के लिये जो भी उपाय होगा, वह हम करेंगे, सत्तारूढ़ दल के सदस्य होने के नाते हम यही कह सकते हैं।

कभी कभी हमारे सामने सवाल आता है कि अमुक राज्य में इतने हरिजनों पर अत्याचार हुए। मेरे जैसा व्यक्ति यह सोचता है कि हरिजनों पर अत्याचार नहीं होना चाहिये पर अगर अत्याचार होता ही है तो इससे हरिजन तपेंगे और चमकेंगे। जो तपेगा वही चमकेगा। अगर आज हरिजन पर अत्याचार होता है, तो हरिजन उसके खिलाफ आवाज उठाता है। अन्तर यही है कि पहले जब हरिजनों पर अत्याचार होता था, तो हरिजन बोल नहीं सकते थे, अखबार उसको छापते नहीं थे, लेकिन आज अगर एक भी हरिजन पर किसी भी तरह का अत्याचार होता है, तो क्या थाना, क्या एम. एल. ए. क्या एम.पी., क्या अखबार, सारे के सारे लोग अपनी पूरी ताकत के साथ आवाज उठाते हैं और सरकार कड़ी से कड़ी कार्यवाही करती है। सरकार स्टेटमेंट लेकर पार्लमेन्ट और विधान सभाओं में आती है। आप देखेंगे अभी हाल में हमारे प्रदेश बिहार में हरिजनों पर कई जगहों में अत्याचार हुए हैं मुलजिम्ओं के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं और कल प्रिट्स को सजाये दी गई हैं इस मामले में हमारे हरिजन भाई और

शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के भाई काफी संतुष्ट हैं। हरिजनों पर होने वाले अत्याचार का हम विरोध करते हैं, उसको कंडेम करते हैं लेकिन इसके विरुद्ध उनको संघर्ष करना किसने सिखाया? उनको संघर्ष करना सिखाया हमारे संविधान ने, पं० जवाहर लाल नेहरू की थ्योरी ने और राष्ट्र के निर्माता महात्मा गाँधी ने।

अब मैं इस बात पर आना चाहता हूँ कि सरकारी नौकरियों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्ज का कितना परसेन्टेज है। क्लास टू और वन में कुछ जगहों में रह गई है लेकिन उस खामी को पूरा करने के लिये हम प्रयत्नशील हैं। पिछली कमी भी पूरी की जा रही है। हमारा इरादा बिल्कुल साफ है, हमारी नीति साफ है और देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीयत साफ है। हमारा गंतव्य और हमारी दिशा बिल्कुल साफ है कि हरिजन आदिवासी तथा अन्य पिछड़े हुए लोगों को किधर ले जाना है। इस मामले में हमारा दिमाग बिल्कुल साफ है।

कभी कभी कहा जाता है कि अमुक राज्य में हरिजनों पर अत्याचार हो गया और वहां की सरकार ने कुछ काम नहीं किया, उनको प्रोटेक्शन नहीं दी। हो सकता है इस में कुछ सच्चाई हो पर मैं इस बात को ज्यादा अहमियत देता हूँ कि आज उनके विचारों ने करवट ली है उनमें अंगड़ाई आई है और इसको हमेशा आगे बढ़ाते रहना होगा।

जानने की बात यह है कि सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये कौन कौन से उपाय किये हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कांपोनेंट प्लान में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिये जो सुविधाएं हैं उनका प्रचार और प्रसार श्री राम विलास पासवान को भी उतना ही करना चाहिए जितना

कि डी.पी. यादव को करना है। यह नहीं होना चाहिए कि राम विलास पासवान जी सभी जगह यह भाषण करें कि हरिजनों के लिये कुछ नहीं किया जा रहा है जबकि डी.पी. यादव और उनका दल हरिजनों के हितों की रक्षा करता जाए मैं पासवान जी से यह कहना चाहता हूँ कि आप इस बात को जरूर कहिए कि अमुक सेवायें सरकार द्वारा उपलब्ध हैं (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मण्डल कमीशन की रेकमेंडेशन को क्या आपने लागू करवा लिया है ? (व्यवधान)

श्री डी.पी. यादव : लोगों को गुमराह कैसे किया जाता है, इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। पिछली बार मैंने पासवान जी का एक भाषण सुना था। इन्होंने कहा कि गाय को माई कहते हैं लेकिन माई जब मर जाती है तो उसको हरिजनों के कंधे पर फेंक देते हैं। इसमें मेरा एक सुधार है। गाय को माई तो हिन्दुस्तान में लगभग सभी लोग कहते हैं और गाय को सबसे अधिक पालने का पेशा यादवों का है, मैं भी उसी कम्युनिटी से आ रहा हूँ। यादवों की गाय मरती है तो उसको फेंकने वाले होते हैं चमार और पासवान जी की जाति के जो लोग हैं उनकी गाय जब मरती है तो उसे कौन फेंकता है ? तब भी उसको चमार ही फेंकता है। ... (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : हमारे संबंध में जो आपको बोलना है, बोल दीजिए। मैं इसको कैलेरिफाई करना चाहूंगा।

श्री डी. पी. यादव : पासवान जी, आप मुझे पूरी बात कहने दीजिए। गाय को माँ कहा जाता है और माँ जब मर जाती है तो हरिजनों

के लिए छोड़ दी जाती है। मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि गाय जब मर जाती है तो चाहे दुसाध की गाय हो या यादव की गाय हो या ब्राह्मण की गाय हो, तो उसको चमार ही फेंकता है। इसलिए हरिजन या ब्राह्मण का सवाल नहीं है। सवाल प्रोफेशन का है इस प्रकार देश को गुमराह करने की बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : जब इन्होंने उल्लेख मेरे नाम का किया है, इसलिए वह मेरे बोलने के समय में नहीं जाएगा। मैं इसको कैलेरिफाई करता हूँ।

सभापति महोदय : मैं आपको पांच मिनट दूंगा।

श्री राम विलास पासवान : मैंने जो उस दिन कहा था, वर्ण व्यवस्था के संबंध में कहा था मैंने कहा था कि वर्ण व्यवस्था के तहत कौन जाति है, जो मैला ढोने का काम करती है। इन्होंने एलीगेशन लगाया है।.....(व्यवधान).....उस दिन मैंने कहा था कि यह वर्ण व्यवस्था का दोष है। एक गरीब ब्राह्मण भी, एक मूख ब्राह्मण और बिना पढ़ा ब्राह्मण भी समाज में अपना श्रेष्ठ साबित करता है, दूसरों से पांव छुआता है और दूसरी और पढ़ा लिखा शेड्यूल्ड कास्ट भी करोड़-पति जगजीवन राम जी जैसे व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था में गुमिबिएट होना पड़ता है। मैंने कहा था जो लोग गाय को माँ कहते हैं, उनको माँ कहलाने का अधिकार नहीं है। क्योंकि मर जाने के बाद जिस तरह माँ का दाह संस्कार किया जाता है, तो गाय का दाह संस्कार क्यों नहीं किया जाता है ... (Interruptions)**

MR. CHAIRMAN : Nothing will go on record.

श्री डी.पी. यादव : सभापति जी, समाज को गुमराह करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस सदन का सहारा लेकर समाज को गुमराह करने का अधिकार किसी को नहीं है। चाहे राम विलास पासवान हों या डी.पी. यादव ... (व्यवधान)** मैं भी इसके लिये लड़ता हूँ। जितना आपके दिल में इस व्यवस्था के खिलाफ बात है उतनी मेरे दिल में भी है। लेकिन मुझे प्रसन्नता है आज हरिजन बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बैठा हुआ है। (व्यवधान)**

MR. CHAIRMAN : No interruptions will go on record.

श्री डी.पी. यादव : आपने भी अने जनता पार्टी के मैनफैस्टो में काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने के लिए कहा था। काका कालेलकर की रिपोर्ट मंडल कमीशन से अच्छी थी, लेकिन जनता पार्टी के जमाने में आपने उसको लागू नहीं किया। उस वक्त श्री मोरारजी देशाई से पूछा जाता कि आपने क्यों काका कालेलकर कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं किया और दो साल के बाद आप ने मंडल कमीशन बैठाया। (व्यवधान)**

आपने उसको लागू नहीं किया। उस पर आपने एक मंडल कमीशन बना दिया। आपने तो सोचा था कि मंडल कमीशन के कार्यालय में ही आपकी सरकार की लाईफ खत्म हो जाएगी फिर इस बीच में चौधरी चरण सिंह प्रधान मंत्री हो कर आये थे। पिछड़े वर्ग के लिए रिजर्वेशन के लिए वे कोई एडमिस्ट्रिजिब आर्डर कर सकते थे लेकिन कोई आर्डर उन्होंने नहीं किया जिन लोगों ने हरिजनों की खुल कर हत्याएं की, उनके विरुद्ध चौधरी साहब ने एक भी स्टेटमेंट

नहीं दिया न उनका कोई विरोध किया उस वक्त का भी आप सारे का सारा वल्लेम और दोष श्रीमति इन्दिरा गांधी पर थोपना चाहते हैं और यह निराधार बात कह कर थोपना चाहते हैं कि वे एन्टी हरिजन हैं एन्टी मुसलमान हैं, एन्टी वेकवर्ड हैं। कम से कम में इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ।

माननीय सभापति जी, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन पिछड़ी हुई जातियों के लिए हमने क्या किया। आज समाज में परिवर्तन हो रहा है लेण्ड रिफार्म्स के द्वारा हम निश्चित रूप से कमजोर वर्गों को बसने के लिए जमीने दे रहे हैं। इसके लिए कानून बनाए गए हैं। और सस्ती से उनके पालन के लिए आदेश दिए गए हैं। गृह मंत्री के सचिवालय से, प्रधान मंत्री के सचिवालय से बराबर इस बात की हिदायत दी जाती है कि जिस हरिजन या आदिवासी के पास मकान नहीं है, उसको रहने के लिए जमीन दी जाए मकान बनवाया जाए।

श्रीमति इन्दिरा गांधी की सरकार ने एन०आर०ई०पी० और आई०आर०डी० जैसे इकोनोमिक डवलपमेंट के प्रोग्रामों के द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जितना किया है उसका उदाहरण पिछले इतिहास में नहीं है। जहां तक उनको भ्रण का सवाल है, उनके विकास के लिए हमने हरिजनों को तहेदिल से ऋण दिया है और दूसरी आर्थिक सहायता दी है। ये हमने उनको इसलिए नहीं दिए कि हम उन्हें कोई भीख दे रहे हैं। तो ये हमने उन्हें इसलिए दिए हैं कि वे समाज में बराबरी पर आकर निर्माण में बराबरी का हिस्सा ले सकें। हमने उनके लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बना कर उनकी उन्नति के काम किए हैं। मैं जब मंत्री था। शिक्षा

मंत्रालय में मंत्री था तो रिकार्ड इस बात का साक्षी है कि इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेक्नोलोजी में मैंने हरिजनों के लिये कोटा निश्चित कराया था। मैंने जब देखा कि इसमें हरिजन आगे नहीं आ रहे हैं तो हमने यह रिजर्वेशन लागू करवाया आज भी आई०आई०टी० में हरिजनों और आदिवासियों के लिये 20 से 25 परसेंट तक का रिजर्वेशन लागू है।

जहां तक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान की बात है। इसके बारे में मैं माननीय मंत्री श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जी से इतना ही कहूंगा कि हमारे यहाँ विहार में शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के लिये जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान हैं, वह तो है ही लेकिन वहां अभी भी कुछ ऐसी जातियां हैं जैसे कि मुसहर, डोम डाढ़ी, और मेहतर जो कि निश्चित रूप से उन्नति की दौड़ में अभी भी वरावर नहीं आ रही हैं। इन जातियों के लिये एक सुपर स्पेशल कम्पोनेंट प्लान होना चाहिये। इन जातियों के तमाम लोगों को इकट्ठा किया जाये और उनके जातिय सम्मेलनों से उनके प्रतिनिधियों को बुलाया जाए। माननीय मंत्री जी आप उनके प्रतिनिधियों को बुलाइये और उनसे बात कीजिये। उनसे बात कर आप उनकी आशाओं और आकांक्षाओं के बारे में पता लगाइये।

इन चन्द शब्दों के साथ, सभापति महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में हो रही चर्चा में भाग लेने का मौका दिया।

श्री मंगल राम प्रेमी (बिजनौर) : मान्यवर मेरे साथी अभी बोल रहे थे। उनके विचार हमने सुने। उन्होंने हमारे साथी राम विलास पासवान जी पर कटाक्ष किया (व्यवधान)

मान्यवर, मनुस्मृति के विषय में जो यहां बात आई थी उसके बारे में मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो सफाई करने वाला आदमी है, क्या उसको घृणा की दृष्टि से नहीं देखा जाता? क्या उनको बुरी नजर से नहीं देखा जाता। क्या उनकी स्थिति यही है। क्या सरकार की नजर में उनका सब काम ठीक चल रहा है। क्या उनको सताया नहीं जाता। क्या उनको वेतन ठीक मिल रहा है। क्या सरकार को इन सब बातों का पता है। मान्यवर मैं इस बारे में अपने जनपद की एक बात कहना चाहता हूँ। मैं इस बात को बाद में इशारे के तौर पर कहना चाहता था, लेकिन अब इसको पहले कह रहा हूँ। अभी हमारे साथी ने कहा कि हमारी सरकार उदारवादी है। उदारता बरतती है। उदारता का एक उदाहरण मेरे सामने मौजूद है सन् 1976 में जब उत्तर प्रदेश में तिवारी जी मुख्य मंत्री थे। (व्यवधान)

उस वक्त श्री नारायण दत्त तिवारी जी ने बैराज का शिलान्यास किया। उसके आँकड़े मेरे पास मौजूद हैं। सारी कालोनियां बिजनौर में थीं। बिजनौर ट्रेजरी से रुपया निकालकर सारा काम किया गया और सारा भार बिजनौर त्रिले पर पड़ा और बिजनौर के नाम से उसका शिलान्यास हुआ था लेकिन जनपद बिजनौर की तरफ और मुजफ्फर नगर के पास विद्याभूषण नगर बसाया गया और सारे पट्टे रद्द कर दिये गये। यह मंत्रियों का हाल है आप यह सारे पट्टे देख लीजिए, मेरे पास हैं। उस बैराज से तीस किलोमीटर इधर की तरफ विद्याभूषण नगर बसाया गया। इसके लिए जनपद मुजफ्फर नगर और जनपद बिजनौर में कशमकश है। सरकार इस और ध्यान दे। जिन हरिजनों को सन् 1948 में बसाया गया था। बैस्टबंगाल से, ढाका से कुछ बंगाली हरिजनों को निकाला गया था और वे बंगाली जनपद बिजनौर में बसे

(श्री मंगल राम प्रेमी)

16.01 hrs.

थे और अभी तक रह रहे हैं। उस बैराज से चार किलमीटर इधर। वे सन् 48 से लेकर अब तक अपनी जमीनों के उपर काबिज थे कुछ जमीनें उनकी बैराज में चली गई, कुछ सडक में चली गई और जो बची थी वह विद्याभूषण नगर में चली गई। ** ये मिनिस्ट्रों के कारनामे हैं। (व्यवधान)

मैं शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। ये हरिजन जो आकर बसे थे उनके पट्टे में लाया हूँ। मैं इनको सभा पटल पर रखना चाहता हूँ। सारे पट्टे और रसीदें मेरे पास हैं इसकी जांच सरकार करवा ले।

श्री आर.एन. राकेश : सभापति महोदय, रखवाइए इनको।

MR. CHAIRMAN : He has not given notice earlier. Further, he has not mentioned what is in it.

श्री मंगल राम प्रेमी : रिपोर्ट के विषय में मैं नहीं कह सकता लेकिन बहुत से उदाहरण हमारे पास ऐसे हैं। एक अभी मथुरा जिले में एक भैंसा गांव है। रिफाइनरी थाने के अंतर्गत आता है। (व्यवधान)

सभापति महोदय (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : आपके पास पट्टे ज्यादा है, और टाइम कम है। (व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी : आपको तकलीफ नहीं हो रही है बल्कि इन लोगों को हो रही है क्योंकि यह लोग अपनी गन्दगी को सुनना नहीं चाहते हैं।

(व्यवधान)

(MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair)

अपनी भाभी के साथ एक 19 साल की लड़की सफाई का काम करने के लिये गांव में गई। यह 31 तारीख की घटना है। उस लड़की को जबर्दस्ती गुण्डों ने और भूतपूर्व प्रधान के लड़कों ने घर में खींच लिया। रातभर उसके साथ बलात्कार किया। लेकिन भाभी अपनी जान बचाकर भाग गई। परिवार वाले वहां आए और कहने लगे कि लड़की को वापिस दे दो। अगर वह होती तो तभी देते। रात को 12 बजे कुएं में लाश फेंक दी। सुबह के समय लाश मिल गई। पुलिस वालों ने उन पर हमला किया और कह दिया कि लाश नहीं जाएगी। लाश बरामद होने के बाद भी कोई नहीं पकड़ा गया। यह आपकी सरकार के कारनामे हैं।

(व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह : आप, उस समय कहां थे ? आपने लड़ाई क्यों नहीं की ? हम ऐसी बात नहीं सुन सकते।

श्री मंगल राम प्रेमी : जो मुझे करना चाहिए था, वह मैंने किया। आपके शासन की यह हालत है। अगर आप लोग ऐसे ही बीच में बोलेंगे तो काम नहीं चलने वाला है। आप लोग क्यों नहीं सुनना चाहते हैं। मुझे ऐसे केसेज का पता है, जहां पर नौकरी से रिवर्ट किया गया है। सफाई कर्मचारियों के साथ तो हिन्दुस्तान में बहुत ही अत्याचार हो रहा है। मैं आप लोगों को एक रिकार्ड भी दिखा देना चाहता हूँ। एक गढ़वाल का मामला है। एक सफाई कर्मचारी को चपरासी के पद पर रखा गया था

लेकिन चौकीदार का काम दिया हुआ था। सेन्ट्रल गवर्नमेंट से लेकर उत्तर प्रदेश तक लिखा पढ़ी हो गई। लेकिन आज तक उसको चपरासी के पद पर नियुक्त नहीं किया गया।

प्रो० सत्यदेव सिंह : आपने, संसद सदस्य के रूप में क्या भूमिका निभायी ?

(व्यवधान)

श्री मंगल राम प्रेमी : आप लोगों ने क्या किया, यह भी तो सुन लीजिए।

(व्यवधान)

बैराज का मामला काफी दिनों से चल रहा है, इसको जल्दी से जल्दी सुलझाया जाना चाहिए। यह मुजफ्फर नगर में नहीं जाना चाहिए। नहीं तो दोनों जनपद आपस में टकरायेंगे और पता नहीं इसकी नौबत कहां तक पहुंच जाएगी? ** को हमारी सेन्टर की सरकार अगर समझती है तो दोबारा मिनिस्टर नहीं बनाना चाहिए था। उनको मिनिस्टर बना दिया है, इसीलिए मैं सदन के अन्दर स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था (व्यवधान)

SHRI RAM PYARE PANIKA : Sir ** is one of the Ministers in Uttar Pradesh. He is not present here. So, how can he name him? (Interruptions)

PROF. SATYA DEO SINGH : Sir he is on a point of order.

SHRI RAM PYARE PANIKA : ** is one of the Ministers in Uttar Pradesh. He is not present here. How can he name him?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I will go through the record. Now, R.R. Bhole may speak.

SHRI R.R. BHOLE (Bombay South Central) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, we are all very happy that this Report of the commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes is being discussed in this House. It gives an opportunity to the Members of the House to say what exactly they have to say and what they feel on the problem of these weaker section of the nation.

Everybody knows that the Scheduled Castes and Scheduled Tribes suffer because of certain religious sanctions. It is very unfortunate that although to a large extent the sharp edge of this religious sanction on the caste system has been blunted, yet the caste system does exist not only amongst the Scheduled Castes, but also in the other classes. The reason is that every caste feels that it is superior to the one which is a little inferior, below it. The highest caste also suffers. Even among the highest, at least on our side in Maharashtra there are more than 100 sub-castes amongst the Brahmins. This is the poison which unfortunately has spread over the society and because of this discriminatory nature of the caste system our nation also suffers, our society also cannot be advanced, cannot be developed. We have an ideal of secularism. It is a very good ideal, but is our society as it is constituted today able to attain this ideal of secularism? It is unfortunate and everybody here knows that even in the election time this ideal of secularism is thrown overboard. Secularism is eroded most when election propaganda and publicity is made. The candidate are selected not because he is an Indian, not because he comes from a certain society, but because he is of a particular caste who will be able to gather most of the votes in his constituency. These are facts and therefore, to resist this poisonous thought and erosion we will have to fight very vigorously.

(Shri R.R. Bhole)

I am very happy, as compared to what the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections were before independence, they are, quite a large proportion of them, at any rate, educated, literate Members of the legislature, shining in various professions and are doing well. But these demonstrative things give an impression that all these 22 1/2% of the weaker sections are now well off. We would be committing a grave blunder if the other high caste people think that because some persons are Members of Parliament, because some persons are Collectors, because some persons are officers, therefore, 22 1/2% of the whole nation is considerably advanced. I think we would be falling in a pitfall and it would be most unfortunate thing which will happen if this thought is allowed to prevail. Even after 35 years of independence, hardly 2% or 3% of this section of the nation are advanced. But that does not mean that 95 or 97% of the community which are more inhabited in the rural areas are also advanced. They are the people who are suffering the most. It is true, we have special component plan. It is also true that we have NRDP plan. It is also true that Tribal Development Programmes are also there 20 point programme is there. There are so many other programmes. But the implementation is not being done properly.

I was the Chairman of the Parliamentary Committee on the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I and my Committee travelled all over the country and saw how these programmes were implemented. Everybody has seen how inefficiently it was implemented. It is very unfortunate that we are spending hundreds of crores of rupees for their benefit. But I have no doubt in my mind when I say that out of these hundreds of crores of rupees which are spent, perhaps 20% or 30% of the benefit of this large sum of money goes only in the pockets of these unfortunate people. Therefore, it is very necessary that we will have to see that the implementation is done as efficiently, as honestly, as sincerely, as it is possible for us to do.

There is a large section amongst the Scheduled Castes who have converted themselves to Buddhist religion. They are in Maharashtra, in the north, in the east and in the west.

Their conditions, unfortunately, are the same as these were when they were Scheduled Castes. These Buddhists, some call them Neo-Buddhists, are fighting that they should get certain rights as they had before specially in the Government of India services. It is very unfortunate that they have still not succeeded and are not in a position to persuade the Government to do it, not only this Government but the other Government also which preceded this Government.

There is the Phule Development Corporation in Maharashtra. This a Corporation which is like a Development Corporation in any other State. I got the information that this Phule Development Corporation which was started in 1978 is now almost being wound up in Maharashtra and it is being done in an illegal manner. It is just like a company. The General Body meeting of the company is usually held every year. But so far as this Development Corporation which is like a Company is concerned, there General Body meetings were held in one year and, in every meeting, one-third of the directors are made to compulsorily retire. Out of 18 directors, about 11 directors are made to retire within a period of 3 or 4 months. The Government of Maharashtra appear to be winding up this Phule Development Corporation and this will be a very tragic step on the eve of elections. I am afraid, the backward people, the Scheduled Caste people, will have to think also whether to vote for this type of action.

Many of the Scheduled Caste people were naturally frightened when they learnt that in the Seventh Plan, there is some reference to the economic test. It is very necessary that the Government or the Planning Department should clear the idea. Most of the Scheduled Caste people are naturally frightened to see that their social and educational backwardness appear to be

replaced or substituted by economic test. This will have to be clarified.

The whole problem in this country is rural problem. There are poor people in the rural areas. There are poverty stricken people also in the lowest section of society. 80 percent of the land is with 25 percent of the household; 50 percent of the national wealth is owned by 18 per cent of our population and 4 households own 40 per cent of our national wealth. This is the position. The Scheduled Caste and Scheduled Tribes people are the lowliest of the low. They are the most poverty-stricken people; they are the weakest section of society and they suffer the most. I think unless and until the agricultural land is nationalised and the agricultural labour, the marginal labourers, the villagers' the rural area people are made to work on the land, as an industry, all these problems and, in fact, most of the problems which we raise in this House are rural problems, will not be solved. Therefore, to save the poor people, to save the Scheduled Caste people and others, the agricultural land should be seriously considered to be nationalised.

We are certainly doing our best. We will have to implement all these programmes. We will have to get the fruits of all the money that is being spent.

I am very happy that this house is discussing this

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह सही है कि जब हम लोग कोई बात कहते हैं, तो बहुत लोगों को वह अच्छी नहीं लगती होगी, कड़ुबी लगती होगी, बुरी लगती होगी। अभी मैं विदेश गया था। मैं तीन चार मुल्कों में गया था। एक महीने तक मैं अमरीका में रहा। वहां पर जैसी जैक्सन काले लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, और साथ ही हिन्दुस्तान के लोगों का

भी प्रतिनिधित्व करता है, क्योंकि विदेशों में हम सब काले हैं, भले ही यहां हम बैंकवर्ड या फार्वर्ड आदि बन जाएं। अब वह अमरीका के काले लोगों का प्रतीक बन चुका है। पहले 90 प्रतिशत गोरे लोग उसके विरुद्ध थे, क्योंकि सेंट-पर-सेंट काले लोग उसके साथ हैं। लेकिन कुछ समझदार गोरे लोग कहते हैं कि जैसी जैक्सन अमरीका के लिए वरदान है, क्योंकि उसके कारण अमरीका की राजनीति में पहली बार काले लोगों को यह आभास हुआ है कि वे उस देश के सर्वोच्च पद के लिए भी खड़े हो सकते हैं। कल तक वे लोग देश की मुख्य धारा से अलग थे, मगर आज जैसी जैक्सन ने उनको देश की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का काम किया है।

श्रीमती राम दुलाी सिन्हा : इससे पहले मार्टिन लूथर किंग थे।

श्री राम विलास पासवान : आपने सही कहा है कि इससे पहले मार्टिन लूथर किंग थे, अब्राहम लिंकन भी थे। लेकिन आज जैसी जैक्सन एक सिम्बल बन चुका है। इस देश में एक स्वस्थ परम्परा तब बनेगी, जब शिड्यूल्ड कास्ट्स के किसी मामले पर दूसरे लोग, उदर दैन शिड्यूल्ड कास्ट्स, उनकी हिमायत करें और उनकी लड़ाई लड़ें और जब दूसरे लोगों पर जुल्म और अत्याचार हो, तो उसकी लड़ाई हम लोग लड़ें। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो हिन्दुस्तान का मानस है वह संसद में भी परिलक्षित होता है। जब भी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का मामला आता है, तो शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोग ही बोलते हैं, लड़ते हैं। उस पक्ष के जो लोग बोले हैं... (व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : I will go through the record.

SHRI RAM VILAS PASWAN : What is the use of going through the record ?

I have not said anything against the Deputy Minister.

(Interruptions)

MR. DEPUTY SPEAKER : If it is in order, I cannot remove it.

SHRI RAM VILAS PASWAN : I have said 'the House' House includes Opposition also. Why are you making noise ? चोर की दाढ़ी में तिनका ।

SHRI G. NARSIMHA REDDY : The way he pointed to our side is the reason for our contesting.

MR. DEPUTY SPEAKER : If he points his finger to your side, it points to his side also.

SHRI G. NARSIMHA REDDY : In fact, we are more interested in the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

MR. DEPUTY SPEAKER : Everybody is interested.

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : श्री पासवान ने चौ० चरण सिंह को छोड़ दिया ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उप.ध्यक्ष महोदय, मैंने किसको छोड़ा, किसको नहीं छोड़ा, वह एक अलग बात है । लेकिन अभी श्री डी पी यादव बोल रहे थे । जब वह इधर थे, तो किस लहजे में बोलते थे और आज किस लहजे में बोले हैं ? श्री चन्द्रपाल शैलानी जब इधर थे तो कैसे बोलते थे और अब कैसे बोलते हैं, यह

मैं जानता हूँ । लेकिन मैं इतना जहर धन्यवाद दूंगा, अपने भाई परमार जी को धन्यवाद दूंगा, चौधरी सुन्दर सिंह जी लोगों को, डागा जी जैसे लोगों और कुबंर राम जी जैसे लोगों को धन्यवाद दूंगा और कभी कभी पणिका जी को लेकिन बराबर नहीं, इन को मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सही बात उठाते हैं और सही बात को उठाना चाहिए और इस में सरकार को कहीं बुरा भी नहीं लगना चाहिए । सब चीज एम एल ए और एम पी के टिकट के लिए ही नहीं होती है, कभी कभी जो रेकार्ड में चीज होती है जिस को आने वाली पीढ़ी पढ़ेगी उस के लिए भी संजोकर रखनी चाहिए ।

मैं यह कह रहा था देश की स्वस्थ परम्परा तभी चलेगी जब एक गरीब की लड़ाई दूसरे लोग भी लड़े, एक अछूत की लड़ाई दूसरे लोग भी लड़े और इस परिस्थिति में जिस तरह में हूँ, मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि मंडल कमीशन के सम्बन्ध में जब लोगों ने विवाद उत्पन्न करने की कोशिश की कि शिड्यूल्ड कास्ट्स को क्या मतलब है, मंडल कमीशन तो बैंकवर्ड क्लासेज के लिए है तो मैं पहला आदमी था कि दो बार इसी सदन में डिबेट हुई और मैंने कहा कि समस्याएं सब की बराबर हैं । इस देश में जब तक वर्ण-व्यवस्था है, जब तक जाति के नाम पर ऊंच और नीच है, तो नीच और छोटी कहलाने वाली जाती को विशेष अवसर देना पड़ेगा । जैसे हम बैंकवर्ड स्टेट्स के लिए विशेष अवसर मांगते हैं, बैंकवर्ड कंट्रीज के लिए विशेष अवसर मांगते हैं ऐसे ही जो कम्युनिटी बैंकवर्ड है उस को भी हमें विशेष अवसर देना पड़ेगा और इस के लिए गोलबन्दी करनी, पड़ेगी चाहे शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग हों चाहे बैंकवर्ड क्लासेज के लोग हों, चाहे प्रोफेसर दण्डवते साहब जैसे लोग हों, राम दुलारी सिन्हा जंसी लोग हों

ये लोग ऊंची जाति में भले ही पैदा हुए हों, डागा जी ऊंची जाति में भले ही पैदा हुए हों, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप दिल और दिमाग से हम लोगों के साथ हैं

श्रीमती राम बुलारी सिन्हा : आप बराबर इन्फ़ीरिआरिटी काम्प्लेक्स से सफर करते हैं।

श्री राम विलास पासवान : इसीलिए कि हम को हजारों साल से इन्फ़ीरियर बना कर रखा गया (व्यवधान) इन्क्लूडिंग योरसेल्फ, तो हजारों साल से जिस को आप ने दबा कर रखा है उस के मन में आग होगी।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Paswan the motion under discussion is :

“That this House do consider the Twenty-sixth and Twenty-seventh Reports of the Commissioner, for Scheduled Castes and Scheduled Tribes for years 1978-79 and 1979-81, laid on the Table of the House on the 22nd December, 1980 and 11th August, 1982, respectively”

SHRI RAM VILAS PASWAN : You are unable to understand Hindi. What can I do ?

MR. DEPUTY-SPEAKER : I can understand Hindi. I can also speak Hindi. You do not know.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh) : He is not casting aspersions on anybody. He is attacking the social system.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Let him point out what are all the points in the Reports which are acceptable and what are the points which are not acceptable.

SHRI RAM VILAS PASWAN : You are a champion of backward classes But

when you are in the Chair. I do not know what happens to you.

SHRI SATISH AGARWAL (Jaipur) : When this matter was debated in the Business Advisory Committee meeting that there should be a discussion, on atrocities on Harijans and weaker sections, the suggestion came that, instead of doing that, we might discuss the Reports of the Commissioner for Scheduled Castes and Tribes. So, it does not mean that the whole discussion will be limited to only the particular period mentioned there.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am only concerned with the Motion here.

SHRI RAM VILAS PASWAN : You have not gone through these Reports. If you had gone through these Reports, you would know that these Reports cover everything, including untouchability.

MR. DEPUTY-SPEAKER : There may be points in the Reports which may not be acceptable to you. You point out only those things where injustice, according to you, has been done to the Scheduled Castes. Let the other Members know.

THE DEPUTY MINISTER IN THE DEPARTMENT OF SPORTS, IN THE MINISTRY OF WORKS AND HOUSING AND IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN) : They want to speak in a generalised manner. That is not allowed. They must confine themselves to the reports under discussion.

(Interruptions)

MR DEPUTY SPEAKER : The time allotted is 3 hours.

SHRI SURAJ BHAN : For five reports you have allotted only 3 hours. How is it possible ? The time should be increased.

(Interruptions.)

MR. DEPUTY SPEAKER : We are not restricting the time of any speaker here. Yesterday also it was 2 hours allotted. But how much time did it take ? So, don't worry about time.

SHRI SATISH AGARWAL : It is only 7 days more for you to preside over Lok Sadha. Why create unnecessary bitterness ?

MR. DEPUTY SPEAKER : I may come back again to preside over something else. Then I wish you are also sitting there.

SOME HON MEMBERS : No, no. We will sit there.

(व्यवधान)

MR. DEPUTY SPEAKER : All this time we have now spent will not go into this time allotted. Now, please proceed.

श्री राम प्यारे पनिका : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप सदस्यों को कन्फाइन न करें क्योंकि कन्फाइन करने से हमारे सभी विचार नहीं आ सकेंगे, वह चाहे उधर के माननीय सदस्य हों या उधर के माननीय सदस्य हों। यह बड़ा व्यापक और महत्वपूर्ण विषय है इसलिए सभी को आप बोलने दें

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे साथी श्री डी पी यादव ने ठीक ही कहा कि हमारे संविधान की जो विभिन्न धाराएँ हैं उनमें शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज वीकर शैक्संस और बैकवर्ड क्लासेज के लोगों के हित की बात कही गई है। अभी 1980-81 की जो शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर की रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि आर्टिकल (15), (16), (17), (19), (23), (25), (29), (35), (38), (46), (164), (244), (244-ए), (275), (320),

(330), (333), (336), (340), (341), (342), (371) और (371 ए, बी, सी) यह जितनी भी सारी की सारी धाराएँ हैं यह वीकर शैक्संस के लिए बनाई गई है इसलिए संविधान के निर्माताओं के दिमाग में यह बात थी कि हजारों साल से इन लोगों पर जो जुल्म और अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए यदि सही ढंग से संविधान में बात नहीं रखी गई तो हो सकता है कि हिन्दुस्तान के मानस को सही न्याय न मिल सके। लेकिन 38 साल की आजादी के बाद भी आप जानते हैं कि क्या हो रहा है। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीन साल से कोई शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्ज कमिश्नर ही नहीं है जिसकी रिपोर्ट के आधार पर इस मदन में हम चर्चा कर रहे हैं। तीन साल से लगातार मांग होने के बाद भी अभी तक उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई है। और अब तो आप जा ही रहे हैं, यह तो विदाई समारोह है। इस रिपोर्ट को आप पढ़िए, इस में कहा गया है कि जो छुआछूत की भावना है उस पर, जो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसका कोई प्रभाव नहीं है। कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रतिवर्ष नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनटवेबिलिटी आफसेस एक्ट, की रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होनी चाहिए। लेकिन वह पार्लियामेंट में पेश नहीं हो रही है। आप जब मंत्री महोदय जवाब देंगी, तो इस के बारे में बतलाइएगा।

आप कहीं भी चले जाएँ, शहर में तो खाना पीना एक साथ होता है, लेकिन गाँव में अभी भी छुआछूत विद्यमान है। सब के बीच में नहीं कह रहा हूँ। बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड शैड्यूल्ड कास्ट के बीच में ही है। सबके बीच में मौजूद है। लेकिन उसको तोड़ने के लिए कोई कड़ा विधान नहीं है। जो विधान है, उसमें आपने दोनों चीजें रखी हैं। इस आदमी को सजा

होगी और इतने रुपये जुर्माना होगा, लेकिन कोई आदमी गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। आप आंकड़ें दे सकते हैं कि इतने लोगों को सजा हुआ है। हुआ क्या किसी को 50 रु. जुर्माना और किसी को 30 रुपये जुर्माना। क्या संसार में ऐसा कोई मुल्क है, जहां आदमी आदमी में नफरत की जाती हो? लेकिन इस देश में आजादी के 37 साल बीत जाने के बाद भी एक आदमी दूसरे आदमी से नफरत करता है। इसलिए गांधी जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े थे कि आजादी के 37 साल बीत जाने के बाद लोग एक आदमी से दूसरे आदमी छुआछूत का माने। जबकि पालतू कुत्ते और बिल्ली से भी इतना प्यार किया जाता है, कि जिम्का कोई हिसाब नहीं है।

आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार इतना भी नहीं कर सकती है कि सिर पर मैल ढोने के सिस्टम को खत्म कर दे। आप हमको समझा रहे हैं, आंकड़े देकर, कि सरकार ने तुम्हारे लिए इतना कर दिया और सरकार ने तुम्हारे लिए उतना कर दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय, प्लानिंग कमीशन की तहफ से लेस्टैस्ट रिपोर्ट बन्धुआ मजदूरों के संबंध में निकली है। यह ताज्जुब की बात है कि आजादी के इतने वर्षों के बाद भी लोगों को गुलाम बना कर रखा जाए। उसको बन्धुआ मजदूरी का जीवन व्यतीत करना पड़े। उस बन्धुआ लोगों में 98 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट्स शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं। रिकार्ड के मुताबिक 66 परसेंट शैड्यूल्ड कास्ट्स 18 परसेंट शैड्यूल्ड ट्राइब्स और शेष बुद्धिष्ठ, क्रिश्चियन और मुसलमान हैं। जो शैड्यूल्ड कास्ट से कन्वर्ट किए गए हैं। इस प्रकार कुल मिला 98-99 परसेंट लोग शैड्यूल्ड कास्ट काम्यूनिटी के लोग हैं। आप रोज अखबारों में, चाहे टाइम्स आफ इंडिया

हो, चाहे हिन्दुस्तान टाइम्स हो, स्टेट्समैन हो, और चाहे इंडियन एक्सप्रेस हो, दिल्ली में जहां सरकार बैठी हुई है, वहां कहा जाता है कि हम शैड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को एडमीशन में नहीं लेंगे। आप जेएनयू में चले जाए, वहां कहा गया है तुम शैड्यूल्ड कास्ट के हो तुमको कोड़े से पीटना चाहिये।

श्रीमती रामदुलारी मिन्हा : कहाँ हुआ है आप हमें कोई केम लिख कर भेजिए।

प्रो० सत्यदेव सिंह : आपस में इस प्रकार की भले ही भाषा बोलते हों, लेकिन हमारी नेशनल पालिसी बड़ी क्लीयर है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वहां से छः लड़कों ने हाईकोर्ट में मुकद्दमा दायर किया है। कहा गया चमार हो, तुमको पेड़ से बंधवा कर पीटा जाए, तब तुम पढ़ोगे। वह आंध्र प्रदेश के कृष्णा डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखता है और वह जेएनयू की काउन्सिल का मैम्बर चुना गया है।

श्री राम विलास पासवान : श्रीमती शीला कौल हमारी एजुकेशन मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास में दर्जनों मामले इस प्रकार के भेज चुका है। उसको निलम्बित तक नहीं किया गया। एकट क्या है और फैंकट क्या है, यह सब हमको मालूम है। एकट अलग है और फैंकट अलग है। फैंकट यह होता है कि अगर वह पुर्जा के लिये अप्लाई करेगा तो रातों रात उसका घर ध्वस्त कर दिया जायेगा। जे०एन०यू० के विषय में यह फैंकट है। हमने यहां ये बातें कितनी बार कही हैं ये यहां जो शैड्यूल्ड कास्ट्स के एम०पी० बैठते हैं, वे बतायेंगे, चव्हाण साहब यहाँ हमेशा बैठते हैं, ये बता देंगे।

(श्री राम विलास पासवान)

विदेशों में हमारा देश सब से अधिक बैकवर्ड देश है। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? हमारे देश में शिक्षा की क्या स्थिति है? 36 23 प्रतिशत लोग यहां साक्षर हैं जिनमें से शेड्यूल्ड कास्ट्स का प्रतिशत केवल 26.38 है हमारे यहां 10.93 प्रतिशत महिलाएं साक्षर हैं और उनमें हरिजन महिलाओं का प्रतिशत केवल 1 है। आपको इस पर विचार करना पड़ेगा।

सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में बहुत कहा जाता है। अभी आपने सेव्थ फाईव ईयर प्लेन का एप्रोच पेपर निकाला है। उसके बारे में हमारे डी०पी० यादव जी स्पष्टीकरण दे रहे थे। आपका जो एप्रोच पेपर है उसमें जो कहा गया है उसके बारे में डी०पी० यादव जी कह रहे थे कि उसमें प्रधान मंत्री की साजिश नहीं है, उनकी कोई सांठगांठ नहीं है। मैं इसके बारे में प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूँ क्योंकि आप प्रधान मंत्री जी के स्पोकसमेन नहीं हैं। स्पोकसमेन हमारा मंत्री जी हैं। जब वे बोलें तो बतायें कि यह एप्रोच पेपर में नहीं है -

“In this matter of reservation particularly in educational institutions and public services..... the economic criteria should be examined.”

आजादी के 37 सालों के बाद सेव्थ फाईव ईयर प्लान में यह जोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? मैं कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी इसमें इस बात को जोड़ने का काम किया है उनके दिमागों में आजादी के 37 सालों से यह मंथन चल रहा है कि किस तरह से शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइव्स के राइट्स को खत्म किया जाये। इस चीज को एग्जामिन

किया जाना चाहिये कि क्या यह किया जा सकता है? हमारे संविधान की धारा 46, धारा 335, धारा 64 में क्या है, क्या अधिकार दिये गये हैं। यह संविधान की धारा 16(4) है-

“इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुये नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में, जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के लिये उपबन्ध करने से निवारित नहीं करेगी।”

यह आपका आर्टिकल 16 (4) कहता है और आपका प्लानिंग कमीशन एप्रोच पेपर में क्या देता है। यह आर्टिकल 46 है -

“राज्य जनता के दुर्बल वर्गों के, विशिष्टतया, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्त्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनकी संरक्षा करेगा। यह संविधान कहता है। संविधान के आर्टिकल 335 में है - “संघ या किसी राज्य के कार्यालयों से सम्बन्धित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा।

आपके संविधान में यह है और आप सेव्थ फाईव ईयर प्लान का एप्रोच पेपर निकालते हैं उसमें कहते हैं कि इकोनोमिक क्राइटेरिये की जांच करनी चाहिए। यह चीज निकल जाती है

और हमारे मंत्री लोग बैठे रहते हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि हमारे व्योरोक्रेट जैसे उन्हें चलाते हैं वैसे चलते हैं। यदि यह बात सही है कि कांग्रेस पार्टी के किसी एम.पी. को प्रधान मंत्री ने यह कहा है कि संविधान में संशोधन किये वगैर रिजर्वेशन नहीं हट सकता है तो मैं प्रधान मंत्री से यह आग्रह करूंगा कि वे उस अफसर के खिलाफ कार्यवाही करें जिसने कि यह चीज लिखी है। अगर आप यह कार्यवाही नहीं करते हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपकी नीयत साफ नहीं है और सरकार की मिली-भगत से यह काम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिये यह बात कह रहा था कि इसको लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि सरकारी सेवा में आप देखिए एजुकेशन में आप देखिए, एजुकेशन की मेरे पास फिगरस हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स कमीशन रिपोर्ट में बताया गया है। पूरे हिन्दुस्तान में 2748 प्रोफेसर है और उसमें शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के मिलाकर कुल 20 है। आप कहते हैं कि इसकी जांच की जाए कि रिजर्वेशन रहे या नहीं। रीडर हैं 8165 और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के कुल हैं 52.

16.46 hrs.

(DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI
in the Chair).

प्राध्यापक हैं 20826 और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के हैं 85 ये 1981 के अनुमार रिपोर्ट में बताया गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों में क्या हालत है। शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज है 2.90 परसेंट और शेड्यूल ट्राइब्स का परसेंटेज है 0.66 परसेंट। ग्रुप बी में 5.11 परसेंट शेड्यूल कास्ट और 1.35 परसेंट शेड्यूल ट्राइब्स

हैं। सेना में जहां कि कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन होता है। जाट रेजीमेंट, अहीर रेजीमेंट, राजपूत रेजीमेंट। (व्यवधान)

थल सेना में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज 0.44 है और ट्राइब्स का परसेंटेज 0.23 है। चन्हाण साहब देख लीजिये। शायद आपको आगे मौका मिले। (व्यवधान)

श्री सुन्दर सिंह : अब इनको काफी मार पड़ी है। अब ये पुलिस में और सेना में भर्ती करेंगे।

श्री रामविलास पासवान : नौसेना के अधिकारियों ने तो रिपोर्ट तक नहीं दी कि उमके पास कितने कर्मचारी हैं। वायु सेना में शेड्यूल कास्ट हैं 0.156 परसेंट और ट्राइब्स हैं 0.0067 परसेंट। यह हालत है और यहां सेव्थ फाइव डियर प्लान में कहते हैं कि इसका क्राइटेरिया देखो, एजुकेशन और इकानमी को जोड़ा जा सकता है, एजुकेशन और सोशल प्वाइंट को काटा जा सकता है कि नहीं। इसको बनाने वाले कौन लोग हैं ?

भूमि सुधार में क्या हो रहा है। यह कमीशन की रिपोर्ट पढ़िए। सरप्लस लैण्ड घोषित की गई 4043423 एकड़। सरकार ने कब्जा लिया 2666654 एकड़ में। बाकी जमीन बड़े लोगों के लिये छाड़ी गई। वितरित की गई 1840617 एकड़ और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को कितनी दी गई। आप शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की बात करते हैं। इसमें लाभान्वित लोगों की संख्या है 7334652 और इसमें कुल शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स जोड़ कर हैं 724294. हंडरेड परसेंट गरीब शेड्यूल कास्ट है। बंधुआ मजदूर शेड्यूल कास्ट है, लेकिन जब जमीन वितरित की जाती है तो 73 लाख में से

(श्री राम विलास पासवान)

7 लाख शेड्यूल कास्ट होते हैं। इससे पता चलता है कि सरकार की नीयत कितनी साफ है। सरकार कहती है कि शेड्यूलड कास्ट्स के लिये स्वर्ग बनाया हुआ है। बैंक के ऋण में किसी को एक पैसा सबसिडी नहीं मिल रही है। ऋण लेने के लिये पचास परसेंट घूस देनी पड़ती है। गाय-भैंस के लिये चार हजार रुपया अगर मिलता है तो उसमें से एक हजार रुपया घूस के लिये देना पड़ता है जबकि गाय की कीमत पांच सौ या सात सौ रुपए ही होती है

(व्यवधान) इस तरह की समस्याएं हैं। आप हमको शिक्षा नहीं देते हैं। हमको बंधुआ मजदूर बनाकर रखते हैं। आप हमको जमीन, घर और पानी नहीं दे सकते लेकिन कम से कम हमारे जीवन की रक्षा की बात तो कर सकते हैं। जिस दिन शेड्यूलड कास्ट्स लोगों के बीच में एकता की भावना आयेगी उस दिन वह अपने अधिकार सम्मान और इज्जत ले लेंगे। भोख देने से हमको इज्जत नहीं मिलने वाली है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 52 परसेंट बैंकवर्ड क्लास और 22 परसेंट शेड्यूलड कास्ट्स की पापुलेशन है और इस प्रकार कुल मिलाकर 80 प्रतिशत ने मण्डल कमीशन की रिपोर्ट को फाड़कर फेंक दिया। लेकिन यहां पर तो सब लोग मुंह में जाली लगाकर बैठे हुए हैं। मैं जानता हूँ, आपके भरोसे पर इज्जत और सम्मान नहीं मिलने वाला है। आज, हमारी बात आपको बुरी लग रही है। (व्यवधान)

प्रो० सत्यदेव सिंह : आपको पूरा सम्मान दिया जा रहा है। आप गुमराह कर रहे हैं।
..... (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : मुझे मालूम है, ट्रेजरी बेंच में कुछ लोग ऐसे होंगे जो भीतर से

कह रहे होंगे कि हम सरकारी पक्ष में होते हुये अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं लेकिन कम से कम राम विलास पासवान विरोध पक्ष में होकर हमारी बात को रख रहा है। इनकी भावनायें हमारे साथ हैं।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : पासवान जी ने चूँकि हम लोगों की तरफ इशारा किया है, इसलिए मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। राम विलास जी उस दल के नेता के साथ रहे हैं जो हिन्दुस्तान में हरिजनों का दुश्मन है और उनको वोट भी नहीं देने देता था। आप, हरिजन और आदिवासियों की बात नहीं करते। (व्यवधान)

श्री आर०एन० राकेश : देहली और मैनपुरी काण्ड किसने किया ? 17 हजार लोगों को मरवा दिया गया। (व्यवधान)

श्री राम प्यारे पनिका : एमरजेंसी के समय कांग्रेस ने जो जमीने दी थीं, उनको जनता सरकार ने हड़प लिया। (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : मेरे जैसा आदमी गर्ब के साथ कह सकता है कि जब मैं ट्रेजरी बेंच में था और जब वेलछी की घटना हुई थी तो इस हाऊस में सबसे ज्यादा लड़ने वाला राम विलास पासवान ही था। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि केबल वेलछी की घटना को ले कर पूरी जनता पार्टी में उथल-पुथल मच गई और मेरे पास उसका सबूत है। यहां पर माननीय गृह मंत्री जी ने 1980-81 में मेरे एक प्रश्न के उत्तर में जो आंकड़े दिये, उनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन तीन सालों के रिकार्ड को आप उठा कर देख लीजिये, यहां पर गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे उठ

कर कह दें कि मैंने जो कुछ कहा है, गलत है, लेकिन इन्होंने यह जवाब दिया है कि 1980, 1981 और 1982 इन तीन सालों में कुल मिलाकर 1505 हरिजनों की हत्या की गई है जब कि बेलछी में केवल 8 आदमियों की हत्या हुई थी। इस प्रश्न को लेकर हमारी वर्तमान प्रधानमंत्री, जो कि उस समय विरोधी दल में हुआ करती थीं, हाथी पर चढ़ कर गई थीं। वैसे मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि विरोधी पक्ष में होने के नाते उन्होंने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। लेकिन बेलछी में केवल 8 आदमियों की हत्या को आप इतना महत्व दे रहे हैं, जब कि वर्ष 1980 में 294 हरिजनों की, वर्ष 1981 में 271 हरिजनों की और वर्ष 1982 में 279 हरिजनों की हत्याएं हुईं और कुल मिलाकर 1505 हरिजनों को बूचर किया गया। आज आप पूछते हैं कि उस समय कौन नेता थे।

सभापति महोदया, ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले दिनों हरिजनों पर अत्याचार की जितनी घटनाएँ घटी हैं, मैं यहाँ किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन 6 जुलाई को रायबरेली जिले में, जो कि राजीव गांधी जी की काँसटी-टूँसी है, अमेठी में ग्यारह हरिजनों को बूचर किया गया लेकिन यहाँ कहा गया कि वह हरिजन और हरिजन के बीच का झगड़ा था। चलिए, अब मैं उसको छोड़ कर आपकी तरफ आता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके प्रदेश से आता हूँ। मुझसे आज भी लोग पूछते हैं कि वहाँ किसने आग लगाई, किसने घरों में भूसा भर कर 11 बच्चों और महिलाओं को झुलसा कर गैस से मरवा दिया। बिहार में यह कैसी घटना वहाँ के आदिवासी क्षेत्र में घट। आज उसके बारे में कहा जाता है कि लोग कलहन स्टेट की मांग कर रहे हैं, लेकिन क्यों करते हैं। क्या कभी उसके कारणों को जानने की कोशिश की गई।

क्योंकि वहाँ के आदिवासी अपने अधिकारों की मांगते हैं और आपने उनको रोकने का काम किया। कल तक उनको जो जमीन के अधिकार प्राप्त थे, लकड़ी के अधिकार प्राप्त थे, आज आपने उन अधिकारों से वंचित कर दिया। वह कलहन राष्ट्र की मांग नहीं थी, कलहन मूवमेंट से सम्बन्धित सारे सबूत मेरे पास हैं। मगर आपकी पुलिस ने क्या किया। हम भी मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश को तीन भागों में प्रशासनिक दृष्टि से बांटा जाए, बिहार को भी दो हिस्सों में बांट देना चाहिये और मैं खुले आम मांग करता हूँ कि मध्य प्रदेश को भी तीन चार भागों में बांट दिया जाये। उसका कारण यह है कि वहाँ प्रशासनिक क्षमता नहीं रह गई है। आदिवासी जिस क्षेत्र में रहते हैं आज तक उनका शोषण किया जाता रहा है। यदि आज वे अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उसमें क्या बुरा करते हैं। वहाँ आपकी पुलिस ने एक दो नहीं बीस-बीस और 25-25 आदमियों को बूचर किया है और मारा है। इसलिए मैंने कहा कि यह गम्भीर मामला है।

आज हमारे मुँह में आवाज नहीं है, भले ही आप हमको डरा लो, धमका लो, मारना हो मार लो, पीटना हो पीट लो, लेकिन बिहार में भूमिहीनों को भूमि देने का कानून बनता है गरीबों के लिए, लेकिन भूमि दी जाती है भूमि सेना को। प्रशासन भी वहाँ उसका साथ देता है यह भूमि सेना क्या है, वहाँ के बड़े बड़े भूमिपतियों का एक आर्गनाइजेशन है। जब कोई गरीब या मजदूर मिनिमम वेजेज एक्ट की बात करता है, मजदूरी मांगता है तो उसको गोलियों से भूनने का काम किया जाता है। यदि कल को उसका हिंसा पर से विश्वास उठ गया और वह हिंसा की पताका ले कर चलता है तो उसको ऐसा अधिकार है और

(श्री राम विलास पासवान)

आपको कुछ कहने का अधिकार नहीं होगा।

इसलिए सभापति महोदय, अन्तिम बात को कह कर मैं खत्म करता हूँ। आपने बहुत दिनों तक समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को सताया है। शोषण किया है और आपके समय में हरिजन लोगों पर, शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर जो अत्याचार और जुल्म हुये हैं, मैं मंत्री जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप हमें खाना मत दो, आप हमें कपड़ा मत दो, आप हमें रहने के लिये मकान मत दो, आप हमें पानी मत दो, लेकिन कम से कम इतना तो करो कि हमारे जीवन की रक्षा हो सके। जहाँ जहाँ यह घटनाएं घटी हैं, बीसियों लोग मारे जाते हैं, क्या कभी सरकार का ध्यान गया है कि वहाँ सड़के भी हैं या नहीं? पिपरा में घटना घटी, वहाँ पर कोई सड़क नहीं थी, देवली में घटना घटी, वहाँ भी कोई सड़क नहीं थी, साधुपुर में घटना घटी, वहाँ पर भी रोड़ नहीं थी रामपुरा में घटना घटी, वहाँ पर भी रोड़ नहीं थी और यदि एक जगह रोड़ थी भी, तो कफालटा में शादी करने जा रहे 18 लोगों को मार दिया गया। इसी तरह दुर्ग जिले के रेस्तरां में भी 29 लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया। ये सब किस के राज में हुआ है, यह सब 1980 के बाद, आज तक की घटनायें हैं और पिछले चार वर्षों में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों पर जुल्म और अत्याचार हुआ है और उसने पिछले सारे रिकार्ड को तोड़ दिया है। मैं इस सरकार पर चार्ज करता हूँ कि यह सरकार ही उसके लिये जिम्मेदार है, इस सरकार की उन खूनियों के साथ मिलीभगत है और यह सरकार उन खूनियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर पा रही है।

17.00 hrs.

और उसका नतीजा हो रहा है सारी की सारी घटनाएं घट रही हैं। और मैं गृह राज्य मंत्री जी आपको चेतावनी देना चाहता हूँ कि यदि आपने बढ़ते हुये कातिल के हाथ को नहीं रोका तो जैसे संसार में छोटी छोटी बातों को लेकर लोग यू०एन०ओ० में जा सकते हैं, हमारे लिये भी कोई प्लेटफार्म है जहाँ हम अपनी आवाज को उठाने के लिये स्वतंत्र होंगे। यदि हम लोग नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम गुंगे हैं, नासमझ हैं। आज कमजोर वर्गों को जीने का अधिकार यदि छीन लिया तो देश में क्रान्ति होगी जिसमें हम और आप दोनों नहीं रहेंगे। इसलिये मैं सरकार को चेतावनी के साथ कहता हूँ कि यह जो शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की जो रिपोर्ट है जो संविधान की भावना के अनुकूल है इस पर गहराई से विचार करें और यदि आपने 1, 2 शिफारिशों को भी इम्प्लीमेंट कर दिया तो बहुत बड़ा उपकार होगा। और मैं जब यह बात कहता हूँ, मैंने कहा था कि आपके दल में भी लोग हैं जो दिल से चाहते हैं, माननीय शिव शंकर जी बैठे हुये हैं जब कभी भी हम लोग वीकर सेक्शनस का मामला ले कर उनके पास जाते हैं तो वह न्याय करते हैं क्योंकि उनके दिल में उनके प्रति हमदर्दी है। लेकिन एक्का, दुक्का आदमी के करने से कुछ होने वाला नहीं है। असल चीज सरकार की नीयत का प्रश्न है। सरकार की नीयत क्या है? जब हम सरकार की नीयत को देखते हैं तो हमें शंका होती है, और माननीय शिव शंकर जी आप सरकार से पूछिए कि सातवीं योजना में इकोनॉमिक क्राइटीरिया को कैसे लाया गया कैसे कहा गया कि आरक्षण का आधार इकोनॉमिक क्राइटीरिया हो है? हकीकत को आप छिपा नहीं सकते? माननीया राम दुलारी सिन्हा जी आप गृह राज्य

मंत्री भी हैं मैं चाहूंगा कि जब आप जबाव दें तो गहराई से विचार करें और ऐसा आश्वासन दें कि जो कातिल हाथ हैं जिसने हमारे जीने का हक छीन लिया है उसके खिलाफ आप कार्यवाही करेंगी और ऐसे कातिल हाथ को प्रोटेक्शन नहीं देंगी।

इन शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यावाद।

श्री श्ररविन्द नेता (कांकर): सभापति महोदय जी, आज हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमीशनर की 26 वीं और 27 वीं रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं। मेरे ख्याल से होना यह चाहिए कि प्रत्येक रिपोर्ट पर अलग अलग चर्चा होनी चाहिए, और 26 वीं रिपोर्ट पर बहुत पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी क्योंकि 26 वीं रिपोर्ट बहुत पुरानी हो चुकी है इसलिये वह आउट आफ डेट भी हो चुकी है।

यह जो 27वीं रिपोर्ट है इसमें सबसे पहले मैं मंत्री महोदया का ध्यान इसके पेज 4 पर जो कमीशन के आर्गेनाइजेशन सैट अप के बारे में कहा गया है उस ओर खींचना चाहता हूँ:

“While setting up this commission the intention of the Government was to finally merge the office of the Commissioner for SC&ST with the Commission. However, the constitutional amendment giving the constitutional status to this Commission has not been made so far.”

इस सम्बन्ध में मैं आपका जबाव चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या स्थिति है? अगर अभी तक उसको कांस्टीट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला है तो मिलना चाहिये। रिपोर्ट में जो स्टेट के आफिसर्स हैं या पोस्ट्स हैं उस सम्बन्ध में कुछ आंकड़े दिये हुए हैं। राज्यों में जो स्टाफ है वह पर्याप्त नहीं है, उनकी सुविधाओं की कमी

है। ऐसे बहुत से राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश जिनका एरिया तो बड़ा है परन्तु उसके मुताबिक स्टाफ और सुविधायें कम हैं इसलिए पूरी तरह से वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाते हैं। इनको किस ढंग से स्ट्रेन्डन किया जाये, अधिक से अधिक सुविधायें दी जायें यह सरकार को सोचना चाहिये। अगर लोवर स्टाफ बढ़ने की आवश्यकता हो तो उसको बढ़ाने की सरकार की तरफ से कोशिश होनी चाहिये। रिपोर्ट में बहुत सी सिफारिशों और अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है। हर राज्य के राज्यपाल को आदिवासी और हरिजनों के विकास की गतिविधियों के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट भारत सरकार को देनी होती है। कमीशन की 27वीं रिपोर्ट में इस बात से असंतोष जाहिर किया गया है कि जिस ढंग से राज्यपाल की रिपोर्ट भारत सरकार को आनी चाहिये, वह नहीं आ पाती है। डैवलपमेंट, विकास कार्यों का विवरण लिख देना ही रिपोर्ट नहीं होती है। उसके अलावा विकास कार्यों की समीक्षा भी उसमें होनी चाहिये कि उसका कितना लाभ इन लोगों को मिला है।

कमीशन की रिपोर्ट में जो यह उल्लेख किया गया है कि राज्यपाल जो भी रिपोर्ट भेजे वह कम-से-कम समीक्षात्मक हो, उसमें विश्लेषण हो, यह बात सही है। जब भी रिपोर्ट आये, तो इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिये कि वह ज्यादा यूजफुल रिपोर्ट हो। यह भारत सरकार और गृह-मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

सलाहकार समिति के बारे में भी कमीशन की रिपोर्ट में है कि हर राज्य में खास तौर से आदिवासी और हरिजनों के बारे में सलाहकार समिति की साल में कम-से-कम 3 बैठकें हों,

(श्री अरविन्द नेता)

परन्तु बहुत से राज्य ऐसे हैं जहां साल में 2 बैठकें ही हुई हैं। उड़ीसा के बारे में तो सूचना कमीशन को उपलब्ध ही नहीं है।

मेरा निवेदन यह है कि जो कम-से-कम 3 बार मीटिंग की सिफारिश है, यह बहुत जरूरी है। इसे कम्पलसरी कर देना चाहिये। इसके अलावा बैठक में क्या कार्यवाही होती है, इसका विवरण भी भारत सरकार को मिलना चाहिये। आजकल केवल खानापूरी करने के लिए राज्य सरकारें इन सलाहकार समितियों की बैठक करती हैं और थोड़े समय में कुछ बातों का उल्लेख करके बैठक खत्म कर देती हैं। मैं चाहता हूँ कि कम-से-कम बैठक की संक्षिप्त कार्यवाही तो गवर्नमेंट के पास आनी चाहिये और उसमें यह भी होना चाहिए कि नीति सम्बन्धी बातों पर वहां चर्चा करते हैं या नहीं।

आदिवासी क्षेत्रों के विकास के सम्बन्ध में भी बहुत सी अच्छी सिफारिशें की गई हैं। एक महत्वपूर्ण बात रिपोर्ट में यह कही गई है कि भारत सरकार को समझ लेना चाहिए कि किस बात को प्रायर्टी दें। अभी तक छठी प्लान में इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ही प्रायर्टी दी गई है। रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत सरकार को या गृह-मंत्रालय को एक अलग से कमेटी सैट-अप करनी चाहिये, स्टडी-टीम सैट-अप करनी चाहिये जो यह देखे कि प्राथमिकता किस चीज की हो और वह इस बात को तय करे। इसमें लिखा गया है कि अब तक प्लान एलोकेशन में पावर, इरिगेशन को काफी प्राथमिकता दी गई है और इसी कारण से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के नाम से बहुत से दूसरे क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। अब फैमिली

बैनिफिशियरी प्रोग्राम पर ज्यादा तवज्जह देनी चाहिये।

कमीशन ने सिफारिश की है कि टीम बनायें और इस बात का अध्ययन करे कि प्रायर्टी किस-किस बात को देनी चाहिये। छठी योजना में हम इस बात का प्रयास करते रहे कि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें अगर कई-कई प्लान में इसी तरह करते रहेंगे तो फैमिली बैनिफिट का कार्यक्रम कैसे हो सकेगा। अब समय है कि 7वें प्लान में फैमिली बैनेफिट के प्रोग्राम बनाये जायें। इस बारे में हमें अधिक से अधिक गंभीरता से सोचकर प्रायर्टी फिक्स करनी चाहिये। रिपोर्ट में ट्राइबल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन्स का उल्लेख किया गया है। राज्यों में जो कारपोरेशन हैं, उनमें एकरूपता नहीं है। होम मिनिस्ट्री को प्रयास करना चाहिये कि इन कारपोरेशनज में एकरूपता हो। कई राज्यों में आज भी कारपोरेशन नहीं बने हैं। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय कोशिस करे कि जहां जहां कारपोरेशन नहीं हैं, वहां जल्दी से जल्दी बने।

फारेस्ट प्रोड्यूस के बारे में बहुत बार कह गया है कि केन्द्रीय स्तर पर एक ऐपेक्स बाडी जल्दी से जल्दी बनाई जाये, ताकि जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में रहते हैं और वन उपज को क्लेक्ट करते हैं, उनको सही कीमत मिले और वन उपज की कीमत के निर्धारण और खरीद में एकरूपता हो।

लैंड रिफार्मज के बारे में बहुत चर्चा हुई है। इस रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि कुछ राज्यों में भूमि का वितरण संतोषजनक नहीं है मैं चाहूंगा कि गृह मंत्रालय यह कोशिस करे कि लैंड रिफार्मज में जितनी भी सरप्लस लैंड है, उसका वितरण हो और महत्वपूर्ण बात यह है

कि हरिजन-आदिवासियोंको उसका पोजेशन मिले कई राज्य ऐसे हैं, जहां वितरण तो कर दिया है परन्तु अभी तक आदिवासियों को प्रोजेशन नहीं दिलाया जा सका है। अगर यह काम ठीक ढंग से न किया गया, तो गरीबों को भूमि देने की सरकार की सारी नीति विफल हो जायेगी।

बहुत से ट्राइबल काश्तकार पंद्रह बीस साल से खेती करते आ रहे हैं, मगर उन्हें पट्टा नहीं मिला है। फारेस्ट कानर्जक्शन एक्ट के बाद भी उन्हें पट्टा मिलने की सम्भावना नहीं रह गई है। ऐसे काश्तकार लाखों की तादाद में हैं। ऐसा कोई प्रदेश नहीं है, जहां ऐसे काश्तकार नहीं हैं, जिन्हें पट्टा नहीं मिला है। मैं चाहूंगा कि गृह मंत्री महोदया इस और विशेष ध्यान दें कि फारेस्ट कानर्जक्शन एक्ट के आने के बाद इस समस्या का निराकरण किस ढंग से हो। पिछली बार जब गृह मंत्री जी के साथ हमारी बैठक हुई थी, तो मैंने इस बात को उठाया था। उन्होंने कहा था कि हम यकायक पट्टा देने में असमर्थ हैं। उन्होंने ठीक ढंग से जबाब नहीं दिया था। आदिवासियों के लिये यह एक बहुत बड़ी समस्या है। गृह मंत्रालय इस और विशेष रूप से ध्यान दें और कोई न कोई हल निकालने का प्रयास करें।

आर्थिक विकास के क्षेत्र में बहुत से काम हुये हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि छठी योजना में 1980 के बाद इंडिबिडुअल बेनिफिशरी प्रोग्राम के अर्न्तगत लोगों को काफी लाभ हुआ है। परन्तु आई आर डी पी के अर्न्तगत 1980-81 में केवल 25 परसेंट हरिजन-आदिवासी परिवारों को ही कवर किया गया है, जबकि 50 परसेंट परिवारों को कवर करना चाहिए था आई.आर.डी.पी. में जितने भी परिवार लिये जाते हैं, उनमें कम से कम 50 परसेंट फैमिलीज हरिजन

आदिवासियों की होनी चाहिए। छठी योजना तक करीब-करीब 15 मिलियन फैमिलीज को लेना था मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करें कि इस बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है और क्या छठी पंच-वर्षीय योजना तक 15 मिलियन परिवार कवर किए जा चुके हैं या नहीं।

कमीशन की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि छठी योजना में बहुत से आर्थिक कार्यक्रम लिए गए हैं।

परन्तु उसकी तैयारी सरकार ने पहले से नहीं की इसलिये छठी योजना के शुरू के सालों में जितनी प्रगति होनी चाहिये थी वह नहीं हो पायी। उस का कारण केवल यही है कि जितनी तैयारी कार्यक्रम को लागू करने के लिये होनी चाहिये उसके लिये भारत सरकार की तरफ से कोई विशेष प्रयास नहीं किया गया और मैं कहना चाहूंगा कि सातवीं योजना में भी और बहुत से कार्यक्रम लिये जा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी कमजोरी है सरकार की तरफ से कि कोई कार्यक्रम लेने से पहले उसकी किस ढंग से तैयारी होनी चाहिये वह नहीं की जा रही है। इसीलिये विफलता कहिये या प्रगति ठीक से नहीं हो पाती या जितने टार्गेट्स हम अचीव करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। उसका महत्वपूर्ण कारण यही है। इन कमियों को दूर करने के लिये भविष्य में सरकार क्या कदम उठाएगी ताकि हम जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसको प्राप्त कर सकें।

ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में खास कर ट्राइबल एरियाज के ऐडमिनिस्ट्रेटिव सेट अप के बारे में कुछ बातों का उल्लेख किया गया है और यह बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है क्योंकि बहुत सी योजनाएं हैं, छठी योजना की कई स्कीमें हैं, अगर आपकी परसोनेल पालिसी या

(श्री अरविन्द नेता)

एडमिनिस्ट्रेटिव सेट-अप इन इलाकों में ठीक न हो, या अनुरूप न हो तो आप का सारा प्रयास विफल हो जाएगा। इस बात को प्राइम मिनिस्टर ने भी सन् 80 में सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी और राज्यों को भी समय समय पर पत्र लिख कर कहा है। विशेषकर क्वाटिफिकेशन आंफ फंडस के बारे में जो उल्लेख किया गया है रिपोर्ट में सेंट्रल मिनिस्ट्री के बारे में, मैं गृह मंत्री और मंत्रालय का आभारी हूँ कि काफी प्रयास उन्होंने किया जिसके कारण और बहुत से मंत्रालय हैं उन लोगों ने इस ओर ध्यान देकर अपने बजट का प्रावधान किया। मैं चाहता हूँ कि सातवीं योजना में जो बजट प्रावधान है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिये और उन के कार्यक्रम में और विकास होना चाहिए।

परसोनेल पालिसी के बारे में मैं कह रहा था कि महेश्वर दयाल कमेटी का इस में उल्लेख किया गया है कि सभी राज्यों को कमेन्टस के लिए इसे भेजा गया है जहां जहां आदिवासी क्षेत्र हैं। अभी तक किसी राज्य की राय आई नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है और भारत सरकार को विशेषकर होममिनिस्ट्री को इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि ट्राइबल एरियाज में अब वक्त आ गया है कि परसोनेल पालिसी क्या हो यह तय किया जाय अगर सही ढंग से किसी स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो यह बहुत आवश्यक है। नहीं तो इसके अभाव में जितने भी आप के विकास के कार्यक्रम हैं, जिनकी भी नीतियाँ हैं वह सारी की सारी अधूरी रह जायेंगी। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में जो महेश्वर दयाल कमेटी की रिपोर्ट है उस के विषय में क्या प्रगति है, कितने राज्यों का जवाब आ गया है, कितनों का नहीं आया है, इसे आप बताएं और नहीं आया है तो उसके लिये क्या

व्यवस्था कर रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण मसला है। इसलिये मैं चाहता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय खास तौर से इस मसले का उल्लेख करेंगी जब वह जवाब देंगी।

इन्हीं बातों के साथ मैं सभापति महोदय का आभारी हूँ कि मुझे वक्त दिया। वैसे तो बहुत बातें कहने को हैं लेकिन समय के अभाव में मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : सभापति महोदय, धन्यवाद आप का...

सभापति महोदय : समय का ध्यान रख कर बोलिएगा।

श्री सूरज भान : समय तो बढ़ा दिया गया है।

सभापति महोदय : बहुत से लोगों को बोलना है, इसलिये थोड़ा ध्यान रखकर बोलिएगा...(व्यवधान)

आपकी पार्टी के पास तो वैसे पांच मिनट हैं।

श्री सूरज भान : वह तीन घंटे के हिसाब से मिला होगा।

सभापति महोदय : माननीय सदस्यों को कोआपरेट करना चाहिये क्योंकि बोलना तो है आपको लेकिन दूसरों को भी बोलना है। आपकी पार्टी को वैसे पांच मिनट टाइम मिला है तीन घंटे के हिसाब से, तो उसका तिगुना भी बोलिएगा तो पन्द्रह मिनट बोल लीजिए। इस से ज्यादा मत बोलिएगा।

श्री सूरज भान : हरिजनों पर और तरह की एट्रासिटीज तो होती ही हैं, यहां हमारे बोलने पर भी पाबन्दी लगा दी जाती है।

सभापति महोदय : हाउस में आपको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। हाउस में हरएक को अपने समय के अन्दर ही बोलना होता है।

श्री सूरज भान : लेकिन मुनासिब समय रखा जाये - यह भी तो होना चाहिये।

सभापति महोदय : आपको बोलना है लेकिन समय के अन्दर बोलना है।

श्री जगपाल सिंह : इस चर्चा के लिये 6 घंटे का समय रखा जाये। आज 6 बजे इसको पोस्टपोन करके 16 तारीख को तीन बजे से 6 बजे तक रखिये।

श्री सूरज भान : सभापति महोदय, जिन रिपोर्ट्स की बात कही गई है वह 1980 और 1982 में ही सदन की टेबल पर रखी जा चुकी थीं इसलिये अब उन पर होने वाले डिस्कशन को पोस्ट-मार्टम ही कहा जायेगा। 1979 की रिपोर्ट में 1977 का जिक्र होगा, उन पर यदि हम आज डिस्कशन करें तो यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा। अभी कल ही एक रिपोर्ट सफुलेट हुई है। लोगों को पता है कि 1983 में कमीशन अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुके थे लेकिन उसको 1984 तक भी पेश न किया जाय तो इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है। तीसरी रिपोर्ट जो कल मिली है वह 10 तारीख को टेबल पर रखी गई थी। कमीशन ने सितम्बर, 1983 में ही रिपोर्ट सरकार को दे दी थी। अब तक सरकार क्या करती रही? अगर सरकार ऐक्शन टेकेन रिपोर्ट के साथ आती तब भी बात समझ में आ

सकती थी लेकिन वह बात भी नहीं हुई। आखिर इतने दिनों तक चुप बैठने का क्या मतलब है?

सबसे पहले मैं आदिवासियों के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। मुझे कई जगह घूमने का मौका मिलता है। इत्तफाक से पिछले साल मैं केरल गया था। आदिवासी जंगलों के बादशाह कहलाते थे लेकिन आज उनकी क्या हालत है?

जंगल से ले तो आए पौधा गुलाब का, मुर्झा न जाये शहर की बासी हवाओं में।

केरल में एक आटापड़ी ब्लाक है मेरे साथी वहां मुझे एक जगह ले गये और मुझे दिखाया कि यहां पर पाँच साल पहले आदिवासियों से कहा गया था तुम अपनी झोपड़ियां गिरा दो, सरकार तुम्हें पक्के मकान बनाकर देगी। उन्होंने अपनी झोपड़ियां गिरा दीं। उसके बाद ठेकेदारों ने ठेका ले लिया पक्के मकान बनाने का, लेकिन एक साल बीत गया न तो पक्के मकान बने और न कच्चे। उन ठेकेदारों ने पूरी राशि लेकर उन आदिवासियों से ही कहा कि पत्थर लाओ। वे पत्थर लाये तो नीव भर दी गई। मैंने जिस जगह देखा वहाँ नीव तो भरी हुई है और उसी पर फिरसे फूस की झोपड़ियां डाल ली गई हैं। मुझे वहाँ पर कुएं भी खोदे हुये दिखाई दिये लेकिन पानी किसी में भी नहीं है। और एक जगह तो मैं यह देखकर बड़ा हैरान हुआ कि वहाँ पर 8 मकान पक्के बनने थे, आदिवासियों से कहा गया कि झोपड़ियां गिरा दो, उसके बाद 8 मकान तो नहीं बने लेकिन एक मकान बन गया मैं हैरान था कि कैसे बन गया, यह तो पक्का मकान है और बिजली का कनेक्शन भी है। जब मैं उसकी तह में गया तो पता चला कि एक व्यक्ति को अपनी चावल की मिल लगाने के

(श्री सूरज भान)

लिये बिजली का कनेक्शन चाहिये था और आदिवासी के नाम पर ही प्रायर्टी से बिजली का कनेक्शन आ सकता था। अतः एक मकान इसलिए बनवा दिया ताकि आदिवासी की कालोनी के नाम पर बिजली मिल जाए। ऐसे उस अमीर जमींदार को बिजली का कनेक्शन मिल गया।

आज नौकरियों में आदिवासियों की क्या हालत है उसके आंकड़े दोहराना नहीं चाहता। बारहा यह माँग की गई है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइव्स की बेहतरी के लिए केन्द्र में सेप्रेट मिनिस्ट्री बनाई जाए लेकिन नहीं बनाई जाती है। 1947 में देश आजाद हुआ और कुछ लाख रिफ्यूजी यहां पर आये कुछ सालों के कुछ लाख रिफ्यूजियों के लिये रिहे बिलिटेशन मिनिस्ट्री बना दी गई। लेकिन हजारों सालों से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइव्स के करोड़ों रिफ्यूजियों के लिये कोई मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है। मैं माँग करता हूँ कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइव्स के लिये एक शैपरेट मिनिस्ट्री बननी चाहिये अगर आप ईमानदारी से उन की हालत को सुधारना चाहते हैं। बहरहाल आवाज उठाने पर कहा गया कि इसके लिये एक डिपार्टमेंट बनायेंगे, मिनिस्ट्री नहीं बनाते। वह डिपार्टमेंट भी पता नहीं कहाँ है।

यह कमीशनर की रिपोर्ट जिस पर हम डिसकसन कर रहे हैं, उस कमीशनर के साथ क्या मजाक हुआ है, वह भी बहुत अफसोस जनक है 1966 से पहले हर स्टेट में कमीशनर के दफतर होते थे, लेकिन 1966 के बाद सारे दफतरों को खत्म कर दिया गया। अब दिल्ली में आर. के. पुरम. में एक दफतर है। पार्लियामेंटरी कमेटी आन बैलफैयर आफ शेड्यूल्ड

कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइव्स की पहली रिपोर्ट में लिखा था कि आपने कमीशनर के दफतरों को क्यों खत्म कर दिया है। फर्ज कीजिये, उत्तर प्रदेश में कोई अपलिफ्टमेंट की स्कीम चल रही है। पहले तो कमीशनर वहां अपने दफतर के माध्यम से देख सकता था कि क्या कुछ काम हुआ है। लेकिन अब कोई दफतर न होने की वजह से वह उत्तर प्रदेश सरकार को लिखेगा कि स्कीम कैसी चल रही है? कुम्हार कभी भी अपने घड़े को नहीं कहेगा कि घड़ा टूटा हुआ है। यू.पी. सरकार कहेगी कि स्कीम बहुत अच्छी चल रही है। बड़े साफ शब्द हैं :

“That the Commissioner has been deprived of his eyes and the ears.”

उसकी आँखें फोड़ दी गई और कान काट दिए गये, ताकि कमीशनर न सुन सके न देख सके। प्रदेशों के अफसरों की बात पर यकीन करें और पार्लियामेंट के सामने अपनी रिपोर्ट दें। इससे और बड़ा मजाक क्या हो सकता है। सदन की परम्परा के अनुसार मैं यहां किसी का नाम नहीं लूंगा। 1966 में गवर्नमेंट के एक सीनियर आफिसर ने कहा था-

Reservation is humbug. It should go.

यह बकवास है, इसको खत्म होना चाहिये। राज्य सभा के सदस्य, श्री जी, बासु मतारी, जो कि उस समय के लोकसभा के सदस्य थे, उन्होंने कहा था कि इस व्यक्ति ने सर्विस में रहते हुए इसकी मुशलिफत की है, इसलिये इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। कार्यवाही क्या हुई, उसको कमीशनर फ़ार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइव्स लगा दिया गया। जो कहता है कि रिजर्वेशन बकवास है। 1967 में वह कमीशनर नियुक्त किया गया और 1968 में नेशनल इन्टेग्रेशन काउन्सिल की मीटिंग में

उसको श्रीनगर बुलाया गया। उनसे कहा गया कि आप इसके बारे में अपनी रिपोर्ट दो कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स को देश की मैन स्ट्रीम में कैसे लाया जा सकता है। उसने लिख कर अपनी सिफारिशें दी हैं पहली सिफारिश यह है कि रिजर्वेशन खत्म होना चाहिये और दूसरी यह कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को दसवीं क्लास से आगे नहीं पढ़ने देना चाहिये। उन्होंने यह लिखा है, अपनी सिफारिश में।

श्रीमती राम दुलारी सिन्हा : क्या नाम है ?

SHRI SURAJ BHAN : His name is Shri N.K. Bose. He was a senior Anthropologist in Government service.

SHRI RAM PYARE PANIKA : His services should be dismissed.

श्री सूरज भान : मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ। उसको कमिश्नर बनाया गया उसने अपनी रिपोर्ट दी है कि रिजर्वेशन खत्म करो और शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के बच्चों को दसवीं जमात से आगे न पढ़ने दिया जाये। हम 80 संसद सदस्यों ने प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी। उसमें सरदार बूटा सिंह जी के भी दस्तखत हैं, जो आज मिनिस्टर हैं और श्री दलबीर सिंह जी के भी दस्तखत हैं, जो आज मिनिस्टर हैं। हमने मांग की कि इस आदमी को तुरन्त निकालो। आप सुनकर हैरान होंगे कि उसको नौकरी से निकालने की बजाये एक्सैटेशन दी गई। तीन साल के बाद चार साल रखा गया। इस प्रकार इस सरकार से इन्साफ की क्या उम्मीद की जा सकती है। यदि इस किस्म की नीति है तो इन्साफ की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। मेरे साथी यादव

जी ने कहा है भूल से यह पैरा लिखा गया है। सातवीं पांच वर्षीय योजना के एप्रोच पेपर में मैं कहना चाहता हूँ कि यह जानबूझ कर लिखा गया 1966 में एक कमेटी श्री बी.एन. लकूर' जो गवर्नमेंट आफ इंडिया के सैक्रेटरी हैं, की अध्यक्षता में बनी। उनसे कहा गया कि बताओ कौन कौन सी कास्ट और कौन कौन सी ट्राइब शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब्स में से निकाल दी जाए। उनसे कहा गया अपने इस काम को करना है और अपने काम के अलावा तीन महीने में रिपोर्ट पेश कीजिये। जिस व्यक्ति ने कभी हिन्दुस्तान के किसी कौने में भोंपड़ी तक न देखी एयर कंडीशंड कमरों में बैठकर, उसने पौने तीन महीनेमें अपनी रिपोर्ट पेश करदी और उसमें कहा गया है कि 35 को शैड्यूल्ड कास्ट्स से निकाल दो और 65 को शैड्यूल्ड ट्राइब्स से निकाल दो सन् 1967 में मैं इत्तिफाक से पार्लियामेंट में आ गया था। हमारे शोर मचाने के बाद लोकोर कमेटी की रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में डाल दी गई। उस तरफ के लोगों ने भी हमारा साथ दिया लेकिन फिर भी सरकार खामोश नहीं रही। उसने एक पैरीमल कमेटी बिठाई और उसको कहा गया कि यह बताओ कि हिन्दुस्तान में अनटचेबिलटी है कि नहीं है। अगर पैरीमल कमेटी यह रिपोर्ट दे देती है कि अनटचेबिलटी खत्म हो गई है तो हिन्दुस्तान में रिजर्वेशन खत्म हो जाता पैरीमल कमेटी ने अपनी इन्टेरिम रिपोर्ट दी और उसमें कहा कि अनटचेबिलटी बदस्तूर कायम है। लेकिन उस कमेटी के एक मेम्बर भी आर. अच्युतन थे जो कि केरल के थे उनसे एक डिसेन्टिंग नोट लिखाया गया और तीन लाख रुपये का वायदा करके लिखाया गया। इस हाउस में मैंने उस वक्त भी यह बात कही थी और पूरे सबूत दिये थे। उनसे डिसेन्टिंग नोट लिखाया गया कि हिन्दुस्तान में अनटचेबिलटी कहीं नहीं है। कमेटी यह रिपोर्ट

(श्री सूरज भान)

दे रही है कि अनटचेबिलिटी कायम है और डिसेन्टिंग नोट यह लिखाया गया। उसकी पब्लिसिटी की गई। कमेटी की रिपोर्ट को अमेंड किया गया। एक मिस्टर एस०एम० संजय्या थे जो पार्लियामेंट के मेम्बर भी थे। जब गवर्नमेंट को यह नजर आया कि रिपोर्ट गवर्नमेंट की मंशा से अलग जा रही है, कमेटी हमारे खिलाफ जा रही है तो कमेटी के दफ्तर को ताला लगा दिया गया। उसका चार्ज छीन लिया गया। मिस्टर एस०एम० संजय्या के घर पर बैठकर अपने खर्चों पर गवर्नमेंट की बनी हुई कमेटी की रिपोर्ट को तैयार किया गया। अपने खर्चों पर टाईप और साइक्लोस्टाइल कराया गया। यह सारा कुछ हुआ।

इसलिए मैं यह कह रहा हूँ कि यह भूलचूक से नहीं लिखा गया है। जो कुछ भी लिखा गया है वह जानबूझ कर लिखा गया है। अगर आप कहते हैं कि भूलचूक से लिखा गया है तो इसी हाउस में अपने बिल पर बोलते हुए मैंने पिछले महीने की 27 तारीख को इस रहस्य का उद्घाटन किया था और कहा था कि यह जो लिखा गया है वह स्वर्गीय डा० अम्बेडकर की सिंगल हैडेंडली दी हुई चीज को छीनने का प्रयास है। कांग्रेस पार्टी में हरिजनों के नुमाइन्दे मंत्री बैठे हैं। वे भी इस पर पानी फेर रहे हैं। क्या जब यह कहा गया उस वक्त मंत्री यह नहीं कह सकते थे? अगर यह भूलचूक से लिखा होता तो पिछली 27 तारीख को मैंने कहा था, फिर इस महीने की दो तारीख को यह जनसत्ता में छपा, उस पर हाउस में शोर मचा। हमने कहा कि आप हाउस में कहो कि आप रिजर्वेशन का आधार खत्म करना चाहते हैं। आप खामोश रहे। फिर इंडियन एक्सप्रेस में छपा तब भी

आप खामोश रहे। मैं श्री वासनिक का शुकिया अदा करता हूँ कि उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और वे तथा उनके साथी प्रधानमंत्री के पास गये। प्रधानमंत्री ने इस पर कहा - मैं हैरान हूँ कि यह कैसे हो गया। प्रधानमंत्री नेशनल डवलपमेंट कौंसिल की चेयरमेन हैं, वहाँ वे मौजूद थीं, उनके केबिनेट मंत्री मौजूद थे और सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर मौजूद थे। 12 जून को मीटिंग हुई और उसमें यह एप्रोच पेपर पास हो गया। मैं यह मानता हूँ कि रिजर्वेशन को कांस्टीच्युशन को अमेंड किये बगैर नहीं हटा सकते। यह बात तो ठीक लगती है। लेकिन मेरे बिल की जो वेकग्राऊंड थी जिसको कि माना नहीं गया वह यह थी कि आर्टिकल 335 को इम्प्लीमेंट करने के लिए सरकार ने कोई कानून नहीं बनाया। सिम्पल ऐक्जीक्युटिव आर्डर के तहत रिजर्वेशन का तरीका चलाया जा रहा है। इसलिए ऐक्जीक्युटिव आर्डर को बदलने के लिए कांस्टीच्युशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन की इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्ट बनना चाहिए था जो कि आज तक नहीं बनाया गया। जानबूझ कर नहीं बनाया गया। ऐक्जीक्युटिव आर्डर को तो जब चाहे बदला जा सकता है।

सभापति महोदया, मैं इस बात को मान लेता हूँ कि यह भूलचूक हो गई है। लेकिन इसे श्री यादव के कहने से, या श्री वासनिक के स्टेटमेंट देने से या आल इंडिया रेडियो पर आ जाने से नहीं माना जाएगा। यह तो श्रीमती रामदुलारी सिन्हा जी इस हाउस में खड़े हो कर कहें और हाउस को कांफिडेंस में ले कर कहें कि हम इस पैरे को डिलीट करने जा रहे हैं। तब बात समझ में आएगी। वरना यह पैरा कायम है। संबन्ध फाईव ईयर प्लान पहली अप्रैल 1985 से लागू हो जायेगा और एप्रोच पेपर को आप अप्रूव कर चुके हैं। कांस्टीट्यूशन

अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है। रिजर्वेशन एग्जीक्यूटिव आर्डर के आधार पर चल रहा है। आप हाउस को कान्फीडेंस में लें। कहें कि यह पैरा हम डिलीट कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें शेड्यूल कास्ट्स की बात कहां है। शेड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स के हैडिंग के नीचे यह पैरा लिखा हुआ है। इससे ज्यादा सुबूत और क्या चाहिए। सभापति महोदया, एक बार डा. अम्बेडकर ने कहा था-

Rights are protected not by law, but by social and moral conscience of the society.

If the fundamental rights are opposed by the community, no law, no parliament, no judiciary can guarantee them in the real sense of the word."

कानून है, विधान में लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन है, लेकिन सोसायटी मानने को तैयार नहीं है। अगर रिजर्वेशन को इस लाइट में लेंगे कि घर में एक आदमी बीमार है तो उसको दवाई के साथ साथ दूध की भी जरूरत है, फल की भी जरूरत है। सोसायटी ने हजारों साल से उसको पिछड़ा हुआ रखा है। उसको परिवार के लोगों के साथ बराबर लाने के लिए उसको इस किस्म का ट्रीटमेंट दें, दवाई, दूध, फल दें। इस लाइट में लेंगे तो किसी के मन में कोई कसमसाहट नहीं होगी। इस नजरिए से लेंगे तो मैं समझता हूँ कि अच्छा रहेगा।

अट्रॉसिटीज की बात कहना चाहता हूँ। अभी श्री राम विलास पासवान जी कुछ आंकड़े दे रहे थे। तीन साल के सिर्फ आंकड़े मिले हैं लेटेस्ट। 1980, 1981 और 1982 के। कुल कत्ल हुए 1315, रेप 1780 ग्रीवियस हर्ट 4.73 और आगजनी के किस्से हुए 4469, लेकिन

आंकड़ों से कई बार सही-पिक्चर दिमाग में नहीं आती है। सिर्फ इतना लगता है कि बहुत हो गया है। ये सरकारी आंकड़े हैं। एक प्रश्न के जवाब में बताए गए हैं। लेकिन अट्रॉसिटीज कैसी होती है। कल का इंडियन एक्सप्रेस शायद कुछ साथियों ने पढ़ा हो। एक हरिजन महिला जो कि होम गार्ड में काम करती है उसके साथ रेप किया गया। उड़ीसा की घटना है और वह थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए जाती है। थाने में उसके साथ क्या सुलूक होता है यह सुन लीजिए :—

"Next morning, when she went to the police station to lodge her complaint, Mr. Mohan Rao shouted at her—"Go away, you Harijans have always been raped in this country. In fact you are meant to be raped."

यह पुलिस अफसर कहता है। थाने में उस औरत को कहता है जो रिपोर्ट लिखाने के लिए जाती है। जब चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास वह रिपोर्ट पहुंचती है तब जाकर कार्यवाही करते हैं।

एक माननीय सदस्य : उड़ीसा में किसकी सरकार है ?

श्री सूरजभान : सरकार किसी की भी हो। मैं इसके बीच में पालीटिक्स को नहीं लाना चाहता। जो ज्यादातियां हो रही हैं, वे खत्म होनी चाहिए।

स्कालरशिप के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। आज जितनी स्कालरशिप मिल रही है वह ना काफी है। मैं चाहता हूँ कि उनके स्कालरशिप के अमाउन्ट को प्राइस इंडेक्स के साथ लिंक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट

(श्री सूरज भान)

एम्प्लाइज का डी ए प्राइस इंडेक्स के अनुसार बढ़ सकता है तो क्या किताबों और कापियों की कीमत नहीं बढ़ती। शेड्यूल कास्ट जो कपड़ा पहनता है, क्या उसकी कीमत नहीं बढ़ती? इसलिए मेरा यही कहना है एक सेंटेंस में कि इसको प्राइस इंडेक्स के साथ जोड़ना चाहिए।

कुछ लोग यह कहते हैं कि साहब कम नम्बरों वाले शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का एडमीशन हो जाता है एम० बी० बी० एस० में। मैं केरल का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। इस पर एडीटोरियल छपा है और हाई कोर्ट तक यह केस गया है। एक छात्र के फिजिक्स में 17 नंबर, कैमिस्ट्री में 18, बाटनी में 24, जियालाजी में 26, टोटल 85, लेकिन एडमीशन के लिए टोटल हो 440। दूसरा स्टूडेंट तो और भी इंटेलिजेंट है। फिजिक्स में जीरो, कैमिस्ट्री में जीरो, बाटनी में जीरो, जियालाजी में दो और टोटल हो गया 428 और उसको एडमीशन मिला मेडिकल में।

जो लाखों रुपया केपीटेशन फीस के रूप में ले लेते हैं, उनकी बात कोई नहीं कहता। मैं यह कहना चाहूंगा कि सरकार को इस रिजर्वेशन के बारे में व्हाइट पेपर निकालना चाहिए। जब से रिजर्वेशन हुआ है, तब से क्या मिलना चाहिए था और क्या मिला है? स्पेशल कम्पोनेट प्लान के बारे में बहुत बार जिक्र हुआ है। 1980 में यह योजना लागू की गई और पाँच करोड़ रुपया इसके लिए रखा गया। लेकिन, एक नया पैसा भी खर्च नहीं किया गया। यह बात मैं इस हाऊस में पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। 1979-80 में जो इसकी गाइड-लाइन्स हैं, उसमें शेड्यूलड कास्ट्स के लिए राज्यों में ट्राइबल सब प्लान भी है। पापुलेशन अगर देखें तो पन्द्रह

परसेंट है। लेकिन अलाटमेंट कितना हुआ? 1979-80 में 4.3 परसेंट, 1980-81 में 7.39 परसेंट और 1981-82 में 8.48 परसेंट। राज्यों की बात तो और है लेकिन सेन्ट्रल गवर्नमेंट में केवल पाँच मिनिस्ट्रीज ने स्पेशल कम्पोनेट प्लान बनायी।

श्री राम प्यारे पनिका : 13 मिनिस्ट्री हैं।

श्री सूरज भान : मैं, आपकी फिगर्स मान लेता हूँ। टोटल मिनिस्ट्रीज जबकि 29 या 30 के करीब हैं। बाकी मिनिस्ट्रीज को क्या सांप सूँघ गया? मैं यह कहना चाहूंगा कि जितना अमाउन्ट स्टेट्स को दिया गया, वह लैप्स हुआ। अगर वे कहें कि शेड्यूलड कास्ट्स की हालत सुधारने के लिए धन नहीं तो अच्छा हो लेकिन जो अलाट हुआ वही लैप्स होता है तो इसका मतलब है, वे दिलसे नहीं चाहते कि उनकी हालत सुधरे। यह बात साफ है। आर्मी की जो सिविल साइड की रिजर्वेशन है उसमें जीरो परसेंट रिजर्वेशन दिया हुआ है। क्या शेड्यूलड कास्ट्स और शेड्यूलड ट्राइब्स को आर्मी के लिए दाखिला नहीं है? भर्ती के लिए वह जाता है तो कह दिया जाता है कि आज जाटों, राजपूतों और दूसरी कौम की भर्ती हो रही है। एक तरफ तो कहा जाता है कि जात-पात खत्म हो गई और दूसरी तरफ यह हालत है। अगर शेड्यूलड कास्ट्स को इस मुल्क में जिंदा रहने का हक नहीं है तो कम से कम उसे अपने आपको इस देश के लिए कुर्बान करने का मौका तो दीजिये। वह भी, आप नहीं देना चाहते। अगर उसका कद कम है, छाती कम है और फिजिकली स्टैण्डर्ड में ठीक नहीं बैठता, तब तो ठीक है। लेकिन, जो हर लिहाज से फिजिकली फिट है, उसको क्यों नहीं भर्ती किया जाता? जात-पात के आधार पर जो आपने रेजीमेंट बनायी हुई हैं, उनको एबोलिशन कीजिए। जाट और सिख रेजीमेंट है तो चमार रेजीमेंट

भी बनाइए। सुभाष या डा० अम्बेडकर उनका नाम से रख सकते हैं। लेकिन जो डिस्क्रीमिनेशन आपने किया हुआ है, उसको बर्दाशत नहीं किया जायेगा। सबको खत्म कर दीजिए। मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर चाहें तो इनका नाम की जगह नम्बर भी रखा जा सकता है।

मैं आपके नोटिस में एक बात और लाना चाहता हूँ। हमें कहा जाता है कि शैड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के क्वालिफाइड लोग नहीं मिलते, स्ट्यूटेबल कैंडीडेट्स नहीं मिलते। मैंने पीछे इस सिलसिले में पार्लियामेंट में एक प्रश्न भी किया था, उसके उत्तर में जो कुछ आँकड़े मुझे दिए गए, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वैसे मैं कह नहीं सकता कि सरकार के आँकड़े कहाँ तक सही हैं, मुझे तो वे गलत नजर आते हैं। लेकिन एम्पलायमेंट एक्सचेंज के लाइव रजिस्टर में बीलो मैट्रिक 12 लाख 48 हजार, मैट्रिक 1 लाख 76 हजार लोग शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स से अलग बताये गए हैं, जिनके नाम वहाँ लिखे हैं। सरकार हमें यहाँ आँकड़े दे रही है और दूसरी तरफ कहा जाता है कि इन जातियों के लोग उपलब्ध नहीं है। लाइव रजिस्टर पर इन्टर पास दो लाख 19 हजार लोग हैं, जो बेकार बैठे हुए हैं। इसी तरह ग्रेजुएट्स की संख्या 94 हजार है जिन्होंने एम्पलायमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाये हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट्स की संख्या 8 हजार है और वे भी अपना नाम लिखाकर बेकार बैठे हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आपस में आपका कोई कोआर्डिनेशन नहीं है। सर्विसेज में तो इससे भी ज्यादा धांधली मची हुई है। आज कल वहाँ गैर शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स की जो यूनियन है, उसको तो मान्यता है, लेकिन जो शैड्यूल्ड कास्ट्स, ट्राइब्स की यूनियन है, जो संविधान को सही मायनों में लागू

करवाना चाहते हैं, उनको कोई मान्यता नहीं है। उन्हें भी मान्यता मिलनी चाहिए।

अन्त में चूँकि आप समय नहीं दे रही हैं, एक और निवेदन करके खत्म करता हूँ। इस मामले में भी हमारे साथ ज्यादाती की जा रही है। क्योंकि हमारे देश में जितनी जातियाँ हैं, उनके धर्म गुरुओं के जन्म दिवस पर सार्वजनिक अवकाश रहता है, चाहे सिक्खों के धर्म गुरु हों, मुसलमानों के धर्म गुरु हों या किसी दूसरी जाति के हों, लेकिन डा० अम्बेडकर के जन्म दिवस पर कोई छुट्टी नहीं है गुरु रविदास जी और महर्षि बाल्मिकि के जन्म दिवस पर कोई सार्वजनिक छुट्टी नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूँ कि वैसे तो मैं सारी बातें समय की कमी के कारण कह नहीं पाया, लेकिन हरिजनों शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के जजबात के साथ आप कब तक खिलवाड़ करते रहेंगे। हमारे यहाँ पूना पैक्ट के नतीजे के तौर पर रिजर्वेशन मिला हुआ है। यदि पूना पैक्ट न हुआ होता तो आज हिन्दुस्तान की शकल ही कुछ दूसरी नजर आती। डा० बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने तमाम जजबात को कुचल कर हरिजनों के हित में सब कुछ किया, लेकिन आज आप पूना पैक्ट को भी बिट्टे कर रहे हैं। आप इस बात का मौका मत दीजिए कि इन लोगों को भी कुछ एन्टी नेशनल ताकतें भड़काने का काम करें।

धीरे धीरे ऐसी स्थिति न हो जाए, इसलिए आपको अभी से कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। आप कब तक इनके सब्र को आजमायेंगे। इसलिए आखिरी वार्निंग के तौर पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो बातें इस एप्रोच पेपर में आई हैं उनको बदलिये और इनके साथ भौंडा मजाक मत कीजिये और इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए, इनके लिए कुछ करिए।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टसगंज) : माननीय सभापति महोदया, आज यहाँ चार रिपोर्टों पर चर्चा हो रही है और यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है। कई सदस्यों ने कहा कि इस पर पहले चर्चा हो जानी चाहिए थी, मैं भी अपने आप को उसमें शामिल करता हूँ कि ऐसी रिपोर्टों पर काफी पहले चर्चा होनी चाहिए थी। यद्यपि लोकसभा में इसी विषय पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा हुई है और हमारे गृह मन्त्री महोदय ने भी, चाहे इस समय के रहे हैं या कोई दूसरे, हर वर्ष शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के एम० पी० को बुलाकर मीटिंग भी की है। इसलिए इस विषय पर आम तौर पर चर्चा होती रही है। चूँकि इस समय यहां कमीशन की रिपोर्ट भी है, कमिश्नर साहब ने जो कुछ रिपोर्ट दी है, उस पर चर्चा होना भी आवश्यक है।

मैं यहाँ विस्तार में न जाते हुए, कुछ रचनात्मक सुझाव ही रखना चाहता हूँ। यहां कई माथियों ने कहा कि हमारे संविधान में वीकर सैंक्शन के कल्याण के लिए 26 धारायें हैं, जो उनकी गरीबी दूर करने के उद्देश्य से रखी गई हैं, उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हैं, उनके शैक्षिक सुधार के लिए हैं और नाना प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के लिए हैं। इन धाराओं के रखे जाने के पीछे मूल उद्देश्य यही है कि ये लोग भी समाज के अन्य लोगों की भाँति अपना जीवन बिता सकें, राष्ट्र की मुख्य-धारा से जुड़ जाएं। मान्यवर, यह बात भी सही है कि पिछले 37 सालों में इस दिशा में काफी प्रगति हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह नहीं हो सकी। उसका कारण यह है कि हमारे हिंदुस्तान के अन्दर, हमारे समाज की रचना कुछ इस प्रकार की है कि हम अपनी आशाओं को मूर्त रूप नहीं दे सके, और उतनी सफलता प्राप्त नहीं

कर सके, जितनी हमने अपेक्षा की थी। मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ कि हमारे महाराष्ट्र में काफी दिनों से एक आन्दोलन चल रहा था कि वहाँ के एक कालेज का नाम बदल कर डा० अम्बेकर यूनिवर्सिटी हो जाए। मुझे याद है, वहाँ की असेम्बली में भी वह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया था कि मराठवाड़ा कालेज का नाम डा० अम्बेडकर विश्व-विद्यालय हो जाना चाहिए। लेकिन हमें दुख है कि आजादी के 37 वर्षों के बाद भी हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि डा० अम्बेडकर के नाम से इस देश में कोई विश्व-विद्यालय हो।

केवल इसलिए कि डा० बाबा अम्बेडकर जाति के थे और हरिजन जाति के थे। तो यह परिस्थिति है इसको भी हमें देखना पड़ेगा, और मैं मांग करता हूँ कि कुछ ऐसे कदम हमें उठाने पड़ेंगे कि जो सर्वसम्मति से असेम्बली से प्रस्ताव पास हुआ उसको इमप्लीमेंट किया जाये। यह दिखाता है हमारे समाज की मनःस्थिति क्या है। संविधान की 26 धाराओं के अनुसार जो कार्यक्रम होना चाहिये था वह नहीं हो सका। समय कम है मैं आँकड़े नहीं दूंगा, लेकिन यह बात सही है कि सर्विसेज में 37 वर्ष बाद भी हमारा कोटा केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के अधिकारियों ने पूरा नहीं किया। हमने विभिन्न अवसरों पर कहा कि इसके लिए अपॉइंटिंग अथोरिटी को दण्ड दिया जाये। लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि किसी भी अधिकारी को दण्ड दिया गया हो जिसने सरकार के निदेशानुसार शैड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स की भर्ती नहीं की।

प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया गया। आप देखें कि किस तरह से अनुसूचित जाति,

जनजाति और हरिजन अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका दो, तीन साल तक कैरेक्टर रोल ठीक रहता है, लेकिन प्रमोशन के साल उनके सी. आर. में अनसेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट दे दी जाती है और इस तरह से हमारा बैंकलाग बढ़ता जाता है जो हजारों और लाखों की संख्या में है। इसलिए मेरा कहना है कि आप एक समयबद्ध कार्यक्रम चलाइये। आखिरकार रिजर्वेशन इस देश में अनन्तकाल तक नहीं चलाया जा सकता है। संविधान के अनुसार यदि सुविधायें देनी हैं तो उसके लिये हमें कठोर कदम उठाना पड़ेगा और गैर रेस्पांसिविल अधिकारियों को दण्ड देना होगा तभी रिजर्वेशन पूरा होगा, अन्यथा इसी तरह से 2,3,4 परसेंट ही रिजर्वेशन रहेगा।

जहाँ तक इकोनामिक कार्यक्रम का सवाल है, खुशी की बात है कि 1980 के बाद हमारी पार्टी सत्ता में आयी और श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमन्त्री बनीं, उन्होंने विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों और गृह मंत्रियों को गाइड लाइन्स दीं कि किस तरह से काम किया जाए जिससे हरिजनों पर एट्रासिटीज बन्द हों और उनके इकोनामिक डेबलपमेंट में तेजी आये। लेकिन दुख की बात है कि यहां से जो गाइड लाइन्स दी जाती हैं उन पर राज्यों के मुख्यमंत्री और सरकारें तबज्जह नहीं देती। गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के कार्यक्रम में क्या कमी है? पहली तो यह कि बैंक सहयोग नहीं देते, गरीबों को दिये जाने वाले पैसे में से परसेंटेज लेते हैं, जो पशुओं के डाक्टर हैं वह भी पैसा लेते हैं और ब्लाक वाले समय पर सब्सिडी नहीं देते हैं। जो सहायता दी भी जाती है वह समय पर न दिये जाने की वजह से उस पर इंटरेस्ट इतना हो जाता है कि वह सब्सिडी से ज्यादा हो जाता

है। जो गाइड लाइन्स हमारी नेता ने दी हैं उनका इनप्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है और उसके कारण लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिये मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इसके लिए स्वतंत्र मिनिस्ट्री होनी चाहिए और शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के विकास के कार्यक्रमों की मानीटरिंग की जाये। केवल कमिश्नर की रिपोर्ट से ही काम नहीं चलेगा, इसको इनप्लीमेंट और मानीटर करने के लिए हर राज्य में केन्द्र सरकार के कमिश्नर या राज्यों के डायरेक्टर नियुक्त किये जायें। और जो सरकारें हमारी नेता द्वारा दी हुई गाइड लाइन्स को इनप्लीमेंट न करें, चूंकि यह केन्द्रीय विषय है, ऐसी सरकारों को सेंसर किया जाये और आवश्यकता पड़ने पर उनको डिसमिस कर दिया जाये चाहे वह किसी पार्टी की भी सरकार हो।

जहां तक और विकास कार्यक्रम की बात अभी हमारे भाई श्री नेताम ट्राइवल एरिया के बारे में बोल रहे थे।

जहां तक एप्रोच पेपर के 13वें पैराग्राफ के बारे में बात है, यहां जैसी ही बात आई, मैं अपनी पार्टी की होम स्टैंडिंग कमेटी का कन्वीनर हूँ, उसकी हैसियत से मैं गृह-मंत्री से भी मिला, प्लानिंग मिनिस्टर से भी मिला और प्रधानमंत्री से भी मिला। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी बात नहीं है। मैंने भी उसको ध्यान से देखा है कि रिजर्वेशन समाप्त करने की बात है, लेकिन जो भी पैराग्राफ आया है वह औबैजक्शनेवल है, उसको समाप्त होना चाहिये। उसके बारे में क्लैरीफिकेशन भी आना चाहिये।

खुशी की बात है कि जैसे ही मैं प्राइम मिनिस्टर से अपने एक साथी के साथ मिला, उन्होंने साफ कह दिया कि कहीं नहीं है। वैसे भी

(श्री राम प्यारे पानिका)

यह संभव नहीं है। कांस्टीट्यूशन के प्रावधान में 26 में कहीं ऐसा नहीं है। अगर इसे हटाना भी है तो कांस्टीट्यूशन में बगैर अमेंडमेंट के नहीं हो सकता है। अगर किसी अधिकारी ने यह पैरा जोड़ दिया है तो वह हटना चाहिये।

आज देश में छूत छात की भावना, छोटे बड़े की भावना काफी हद तक समाप्त हो रही है। इसके बारे में हमने काफी किया है। एक बात सही है, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट पर हम विचार कर रहे थे तो हमने जो समानता का अधिकार कांस्टीट्यूशन में दिया है, जब तक उस अवसर को प्राप्त करने की हमें समानता नहीं मिलेगी तब तक उसका कोई मतलब नहीं है।

जैसे शिड्यूलड कास्ट, शिड्युलड ट्राइब या बैकवर्ड किसी भी कम्युनिटी का हो, वीकर सैक्शन का हो, जब तक एजुकेशन में समानता नहीं होगी कुछ लाभ नहीं होगा। एक बच्चा पब्लिक स्कूल का पढ़ने वाला और एक जिला परिषद के दूरदराज में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाला दोनों ग्रेजुएशन कर लें, दोनों अगर आई.ए.एस. में बैठते हैं तो उनको क्या समानता का अधिकार मिला है? इसलिए जब तक अवसर प्राप्ति के साधन सम्पन्न नहीं होंगे निश्चित तरीके से इस समता का कोई मतलब नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ कि उस समय तक यह रिजर्वेशन चलता रहेगा जब तक यह समता नहीं आ जाये।

मैंने यह भी कहा था कि बुद्धि किसी बाप की बपौती नहीं है अगर अवसर मिले तो धीरे-धीरे सब समान रूप से आगे आ सकते हैं।

अभी हमारे भाई पासवान जी आए हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ कि, कोई राजनीति की बात नहीं करता, लेकिन कुछ लोग इन हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण के कार्यक्रमों में अपने राजनीतिक हित ढूँढना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आपने ही इसका कोई ठेका नहीं ले रखा है, यहां कांग्रेस के दूसरे माननीय सदस्य भी हैं।

सभापति महोदया, आप जानती हैं कि 1980 का चुनाव जब हुआ था तो हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? हमारे हरिजन भाई अपने वोट नहीं डालने पाए थे और एक दल के नेता जो पिछड़े लोगों की बातें करते हैं, इस देश की सत्ता हथियाना चाहते हैं, उसके नेता इन लोगों को वोट नहीं डालने देते। मुझे खुशी है कि भाई रामविलास जी ने उस दल को छोड़ दिया है। आज श्री कर्पूरी ठाकुर भी यही काम करते हैं, जात-पात की राजनीति चलाते हैं। मैं कहता हूँ कि समय की मांग है कि अगर देश एकता को लाना है, हरिजनों को उठाना है तो आज देश में ऐसी पार्टी जो जाति, धर्म और सम्प्रदाय की बात करती है, उनको समाप्त कर देना चाहिए। मैं भाई पासवान जी से कहता हूँ कि उनके लिए वह उचित स्थान नहीं है जहां आप बैठे हैं। आपके क्षेत्र में कुछ लोग ऐसे हैं जिनके सम्बन्ध ऐसी जाति से थे

एक माननीय सदस्य : सभापति महोदया, 6 बज रहे हैं।

सभापति महोदया : 7 बजे तक बैठेंगे।

(व्यवधान)

श्री राम प्यारे पानिका : सभापति महोदया, मुझे 15 मिनट दिया है, मुझे अभी और बोलना है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : अभी 7 बजे तक हाउस बैठेगा, यह बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में बात हो चुकी है।

श्री सूरज भान : सब को जाना है, कल 15 अगस्त है।

(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN : Madam Chairman there has already been an understanding in the Business Advisory Committee. Since we have a lot of business on Thursday, I request the House to cooperate so that, at least the discussion will be completed to-day and the reply of the Minister will be made later.

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, बीस पच्चीस सदस्य बोलने वाले हैं। यह चर्चा आज किसी भी हालत में खत्म नहीं हो सकती। इस लिए आप इसको परसों तक रखिए यह एक इम्पार्टेन्ट इश्यु है। कल 15 अगस्त है। हम सभी जल्दी जाना चाहते हैं।

18.00 hrs.

(MR. SPEAKER in the Chair).

अध्यक्ष महोदय : उस दिन हमने देखा था कि हमारे पास समय नहीं होगा, इस लिये हमने मोच समझ कर यह तय किया था। जब समय निकल सकता है, उसी हिसाब से हम डिसकशन रख लेते हैं। आप देख लीजिए कि आपने कब डिसकशन करना है। मैं तो हर वक्त बैठने के लिए तैयार रहता हूँ।

श्री सूरज भान : हम सब ने 15 अगस्त के लिए जाना है।

अध्यक्ष महोदय : समय कहां से निकालेंगे?

श्री राम विलास पासवान : मैंने सुझाव दिया था कि अगर आज 12 बजे शुरू कर देंते, तो 6 बजे तक यह हो जाता। चूंकि इसको 3 बजे से शुरू किया गया है, इस लिए आज इसको पूरा नहीं किया जा सकता। आप परसों टाइम निकाल लीजिए। यह एक ऐसा इश्यु है, जिसमें दोनों पक्षों के सदस्य बहुत दिलचस्पी ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हमने कमेटी में जो तय किया था, मैंने वही टाइम रखा है।

श्री चन्द्रजीत यादव : परसों लंच-आवर खत्म कर दीजिए और एक घंटा ज्यादा बैठ जाएंगे।

SHRI MALLIKARJUN : Sir, on Thursday, an important Bill, like the Terrorist Affected Areas (Special Court) Bill has to be passed. Apart from that, there is a demand from both sides that we should also take up the Anti-Dowry discussion and so on and so forth.

Such an important discussion is to be held. But, because of the shortage of time, it would be relevant on the part of all Members of the other side to cooperate so that at least the discussion will be completed to-day. (Interruptions)

MR. SPEAKER : Let us be pragmatic. We have to take whatever is in our hands.

SHRI CHANDRAJIT YADAV : The only difficulty for today is that many Members want to go away. That is the problem. Otherwise, we can always sit late.

अध्यक्ष महोदय : परसों प्राइस राइज पर कार्लिंग एटेन्शन नोटिस रखा गया है। एक

(अध्यक्ष महोदय)

तरीका यह हो सकता है कि परसों इसको खत्म कर दिया जाए, चाहे रात के 12 बजे तक बैठना पड़े। ऐसी बात उठाई जाती है कि फलां नहीं है बगैरह। इसलिए मैं सब बातों को साफ कर देना चाहता हूँ।

SHRI MALLIKARJUN : If the hon. Members from the other side are prepared

to cooperate to sit day after tomorrow for any length of time, then, we agree.

MR. SPEAKER : Till the business is over, we shall sit. Now, the House stands adjourned to meet again at 11 A.M. on the 16th August, 1984.

18.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, August 16, 1984|Sravana 25, 1906 (Saka)